केवल आंतरिक परिचालन के लिए

सेन्ट्रलाइट
CENTRALITE

खंड / Vol. 45 - 2023, अंक - 1 मार्च / March 2023

नए युग की बैंकिंग

विशेष आकर्षण-
नारी शक्ति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

केंद्रीय कार्यालय में आयोजित महिला दिवस समारोह के अवसर पर केक कटिंग में महिला कर्मियों के साथ आदरणीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी.राव.

डिजिटल भुगतान लेनदेन में उच्चतम प्रतिशत के लिए हमारे बैंक को ''उत्कर्ष प्रथम पुरस्कार'' प्राप्त हुआ. श्री अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री जे.एस. साहनी अंचल प्रमुख, दिल्ली आंचलिक कार्यालय.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही गृह-पत्रिका

A Quarterly House - Journal of Central Bank of India

प्रकाशन तिथि - 02.05.2023 • खंड / Vol. 45 - 2023 • अंक - 1 • मार्च / March, 2023

.. न हि ज्ञानेन सदृशं ..

संपादक
पॉपी शर्मा

संपादक मंडल
वास्ती वेंकटेश
एस. के. गुप्ता
एस. एच. अय्यूबी
राजीव वार्ष्णेय

संपादकीय सहायक
छाया पुराणिक
अनिता धुर्वे

Editor
Poppy Sharma

Editorial Board
Vasti Venktesh
S. K. Gupta
S. H. Ayubi
Rajiv Varshney

Editorial Assistant
Chhaya Puranik
Anita Dhurve

ई-मेल / E-mail
centralite1982@gmail.com

इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं से बैंक का सहमत होना आवश्यक नहीं है.
Articles Published in this magazine does not necessarily contain views the Bank.

विषय-सूची / CONTENTS

प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम. वी. राव का संदेश 4
कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही का संदेश 5
कार्यपालक निदेशक श्री राजीव पुरी का संदेश 6
कार्यपालक निदेशक श्री एम वी मुरली कृष्ण का संदेश 7
संपादकीय 8
नए युग की बैंकिंग और नारी शक्ति 9
नारी शक्ति 11
पुस्तकें पढ़ने की आदत 14
मट्टानचेरी : शहर जो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है 15
असम की लोक संस्कृति 18
महिला सशक्तिकरण : एक संवाद 20
काव्यकुंज - मां ढूंढती तेरी थपकियां 22
काव्यकुंज - पंखों की फरियाद 22
नारी शक्ति को सुदृढ़ बनाने हेतु एक ठोस व व्यापक कानून- यौन शोषण निवारण अधिनियम 23
नारी शक्ति 27
अबला नहीं हो तुम नारी हो 28
भारतीय लोक उत्सव- अतुल्य भारत की सांस्कृतिक विरासत 29
महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका 30
ऋण-वसूली में वार्ता कौशल का महत्त्व 32
काव्यकुंज - अभिशाप बना वरदान 34
Section 138 of N.I. Act 1881 (A Significant Tool of Recovery Management) 35
हमारे व्यवहार के परमाणु 37
Co-Lending 38
The NPA Black Hole 41
काव्यकुंज - मैं एक औरत हूँ 46
साइबर अपराध - एक गंभीर चुनौती 47
महिला सशक्तिकरण 49
नारी शक्ति 51
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:!!! 53
व्यंजन - मेथी मूंग की कढ़ी 56
नए युग की बैंकिंग- नारी शक्ति 57
पदोन्नति 59
केंद्रीय कार्यालय मुंबई द्वारा दिनांक 20 मार्च 2023 को दिल्ली आंचलिक कार्यालय में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की झलकियां 61
सेवानिवृत्ति 62

डिज़ाइन, संपादन तथा प्रकाशन : सुश्री पॉपी शर्मा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 001 के लिए तथा उनके द्वारा उचीथ ग्राफिक प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड. आइडियल इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मथुरादास मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.
Designed, Edited and Published by Ms. Poppy Sharma for Central Bank of India, Chandermukhi, Narimanpoint, Mumbai - 400 001
Designed and Printed by him at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd. 65, Ideal Industrial Estate, Mathuradas Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी. राव का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

सर्वप्रथम आगामी पर्वों हेतु हार्दिक शुभकामनाएं !

हम नये वित्त वर्ष 2023-24 में प्रवेश कर चुके हैं. नया वित्त वर्ष नयी आशा का संचार करने वाला है. हम नये संकल्प और नये लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ेंगे.

विगत वर्ष 2022-23 में हमारे बैंक ने बेहतर कार्य प्रदर्शन किया है और उसका परिणाम भी बेहतर रहा है. वास्तव में जब एक टीम के रूप में मिलकर कार्य किया जाता है तब परिणाम बेहतर आता ही है. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हम टीम सेंट्रलाइट के रूप में इसी एकजुटता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे तथा सभी लक्ष्यों को बड़े मार्जिन से प्राप्त कर पाएंगें

हम नये युग की बैंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं जहां निरंतर नये-नये परिवर्तन हो रहे हैं. बैंकिंग अब वर्चुअल बैंकिंग की ओर कदम बढ़ा चुकी है जिसे डिजिटल बैंकिंग भी कहा जा सकता है. एक बैंक की पूरी शाखा बैंक ग्राहक के मोबाइल में समा चुकी है. इसके माध्यम से व्यक्ति अब कहीं से ही बैंक में जमा खाता खोल सकता है, ऋण आवेदन कर सकता है, एफडी बनवा सकता है, फंड ट्रांसफर कर सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है. वह पूरी तरह कैशलेस लेन-देन कर सकता है.

इस नये युग की बैंकिंग में हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें डिजिटल बैंकिंग के बारे में पूरी जानकारी दें. इसके साथ-साथ हमारी ग्राहक सेवा हर तरह से सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए. हमारे हर ग्राहक को शाखा में पारिवारिक वातावरण जैसा ही लगना चाहिए.

शाखा के सभी सदस्यों को शाखा प्रबंधक के नेतृत्व में एक टीम के रुप में कार्य करना चाहिए. अपने सभी लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर ठोस प्रयास करने चाहिए जिससे सभी लक्ष्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व बड़े मार्जिन से प्राप्त किए जा सके.

वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 में हम सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक सेवा प्रदान करेंगे जिससे इस बैंक के गौरव को हम और अधिक उल्लेखनीय बना सकें.

हार्दिक शुभकामनाएं

(एम.वी. राव)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
29.04.2023

कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही का संदेश

प्रिय सेंट्रलाइट साथियो,

सर्वप्रथम हमारे बैंक के वर्ष 2022-23 के शानदार कार्य परिणामों के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं. देशभर में कार्यरत सभी सेंट्रलाइट साथियों के वर्ष भर के परिश्रम का सुखद परिणाम हमें प्राप्त हुआ है.

बैंक ने सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है लेकिन देश के सर्वश्रेष्ठ बैंक बनने तथा अपना गौरवशाली स्थान पुन: प्राप्त करने के लिए हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है. हमें पहले से और बेहतर कार्य करना है.

हमें अपनी ग्राहक सेवा को सर्वोत्तम बनाना होगा. अपने ग्राहकों के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा. ग्राहकों को त्वरित सेवा प्रदान करनी होगी. ऋण प्रस्तावों को शीघ्रता से निपटाना होगा. इसके अतिरिक्त हमारे शाखा परिसर स्वच्छ और आकर्षक तथा मूलभूत सुविधाओं से युक्त बनाए जाएं. पासबुक प्रिंटर इत्यादि अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहने चाहिए. हमारे एटीएम एवं कियोस्क इत्यादि सभी सदैव अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहने चाहिए.

हम टेक्नोलॉजी के दौर में कार्यरत हैं. इस नए युग की बैंकिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर काम कर रही है. हमें स्वयं को टेक्नोलॉजीसेवी बनाना होगा. साथ ही अपने ग्राहकों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा. ग्राहकों को बताया जाना चाहिए कि एम-पासबुक के माध्यम से वह अपने खाते के लेन-देन देख सकते हैं, वहीं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग लेन-देन भी कर सकते हैं. इसके माध्यम से ऑनलाइन खाता खुलवा सकते हैं, एफडी बनवा सकते हैं, वीडियो केवाईसी करवा सकते हैं. लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हमारा बैंक नए युग की बैंकिंग में टेक्नोलॉजी की हर नई सुविधा को अपने ग्राहकों तक पहुंचाना चाहता है. हम नई जेनरेशन के ग्राहकों को नवीनतम सुविधाओं से आकर्षित कर रहे हैं. वहीं परंपरागत बैंकिंग के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की सम्मानपूर्वक सेवा कर रहे हैं. हम नारी शक्ति के प्रति भी जागरूक हैं तथा उनके लिए विशेष योजनाओं सहित गरिमा पूर्ण पारिवारिक परिवेश प्रदान कर रहे हैं.

यह ध्यान रखिए, जब हम दिन-प्रतिदिन बेहतर बैंकिंग सेवा प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले कल के परिणाम बेहतर होंगे.

हार्दिक शुभकामनाएं

(विवेक वाही)
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक श्री राजीव पुरी का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

सर्वप्रथम अभी-अभी वर्ष 2022-23 हेतु घोषित हमारे बैंक के शानदार परिणाम हेतु आप सभी को हार्दिक बधाई. यह हमारे माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी.राव के कुशल नेतृत्व में आप सबके द्वारा की गई मेहनत का ही सुपरिणाम है.

नए युग की बैंकिंग में परंपरागत पद्धति की तुलना में बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है. बैंकिंग का कार्य अब एक विशेष परिसर तक सीमित नहीं रह गया है. अब पूरी बैंक शाखा ग्राहक की जेब में आ चुकी है. ग्राहक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य कर सकता है जिसके लिए पहले उसे शाखा में जाना पड़ता था. खाता खोलना, खाते में पैसा जमा करना या निकालना, अपने खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजना जैसे कार्य अब बिना शाखा में जाए किए जा सकते हैं. हम अपने ग्राहकों को ये सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं. ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग के लिए प्रेरित किया जाए.

नए वित्त वर्ष में हमारा पूरा ध्यान जमा वृद्धि पर होना चाहिए. हमें कासा जमाओं को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा. स्कूलों, कॉलेजों तथा आवासीय क्षेत्रों में सम्पर्क करें. वहां शिविर लगाकर कासा खाते खोलने के प्रयास किये जाने चाहिए. साथ ही व्यापारिक संघों के साथ बैठकें करके चालू खाते खुलवाए जाएं. हमें अपनी शाखा के आस पास के व्यापारियों के चालू खाते अवश्य अपने यहां खुलवाने चाहिए.

अपने ऋण खातेदारों से निरंतर सम्पर्क बनाएं रखें. हमारे ऋण खातों में स्लीपेज न हो यह ध्यान रखा जाए. स्लीपेज होने पर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही की जाए. इसी प्रकार एनपीए खातों में वसूली करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए. जहां आवश्यक हो वहां सरफेसी आदि माध्यम भी अपनाए जाएं. हमारा प्रयास राईटऑफ खातों में वसूली की तरफ भी होना चाहिए.

हमें अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करनी चाहिए. ग्राहकों से हमारा व्यवहार मधुर होना चाहिए. उनकी पूछताछ का संतोषजनक उत्तर दिए जाए. हम ग्राहकों से मधुर संबंधों के फलस्वरुप उनके सभी परिजनों के खाते अपने यहां खुलवाएं जिससे अपनी हर बैंकिंग आवश्यकता के लिए वे हमारे पास ही आएं.

हार्दिक शुभकामनाओ सहित

(राजीव पुरी)

कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक श्री एम वी मुरली कृष्ण का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

सर्वप्रथम आगामी पर्वों हेतु हार्दिक शुभकामनाएं !

बैंकिंग व्यवसाय सामान्य नागरिकों से सीधा जुड़ा हुआ व्यवसाय है. नागरिक अपनी सामान्य वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरल बैंकिंग सुविधाएं चाहते हैं. इतना ही नहीं वर्तमान प्रौद्योगिकी के दौर में बैंक के ग्राहक नवीनतम प्रौद्योगिकी वाली बैंकिंग भी चाहते हैं. व्यवसायिक बैंकें भी इस दिशा में बहुत अधिक प्रयास कर रही हैं कि अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद और योजनाएं प्रदान कर सकें.

बैंकिंग अब डिजिटल रूप ले चुकी है. डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से व्यक्ति बिना शाखा में आए अधिकांश बैंकिंग काम-काज कर सकते हैं. डिजिटल बैंकिंग 24x7 कार्य करती है. डिजिटल बैंकिंग में कोई अवकाश नहीं होता. डिजिटल बैंकिंग की सुविधा इसीलिए लोकप्रिय हो रही है कि यह निर्बाध सेवा है तथा अत्यधिक सुविधाजनक भी है.

नए युग में सभी अपना कार्य शीघ्रता पूर्वक संपन्न होते देखना चाहते हैं. अपनी पूछताछ का संतोषजनक उत्तर चाहते हैं. साथ ही अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान भी चाहते हैं. इसके अतिरिक्त वे हमारे शाखा परिसर भी स्वच्छ और आकर्षक स्थिति में देखना पसंद करते हैं. इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे परिसर स्वच्छ और आकर्षक बने रहें. काउंटर पर आने वाले व्यक्तियों का कार्य शीघ्रतापूर्वक एवं संतोषजनक ढंग से किया जाए. शाखा में कार्यरत सभी प्रकार के उपक्रम सुचारू ढंग से चलते रहने चाहिए. शाखा से जाने वाला व्यक्ति हमारे कार्य, सेवा एवं व्यवहार से प्रसन्न होकर ही जाना चाहिए.

हमारा प्रयास होना चाहिए कि शाखा में आने वाले सभी ग्राहकों को हम डिजिटल बैंकिंग सेवाएं लेने को प्रेरित करें. उन्हें डिजिटल बैंकिंग के सरल और सुविधाजनक होने सहित वह कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवा प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त साधन है यह समझाना चाहिए. ग्राहकों को यह भी बताया जाना चाहिए कि डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से बिना शाखा में आए वे अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं. इससे उनका शाखा तक आने जाने का श्रम, समय और व्यय सभी कुछ बचता है.

हमें याद रखना चाहिए बेहतर ग्राहक सेवा का विकल्प और अधिक बेहतर ग्राहक सेवा देना ही है.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

(एम वी मुरली कृष्ण)
कार्यपालक निदेशक

संपादकीय

हमारे बैंक की गृह पत्रिका सेंट्रलाइट के इस अंक के माध्यम से पहली बार आप सभी सेंट्रलाइट सदस्यों से संवाद करना मेरे लिए बहुत आनंददायक है. प्रत्येक तिमाही प्रकाशित होने वाली यह सेंट्रलाइट पत्रिका सभी सेंट्रलाइटों की अपनी पत्रिका है. इसका हर अंक विशेषांक होता है. साथ ही तिमाही की बैंकिंग गतिविधियों को इसमें समाहित किया जाता है. हमारे प्रतिभाशाली लेखकों के लिए भी यह एक उपयुक्त पत्रिका है.

यह अंक नए युग की बैंकिंग पर आधारित है तथा इसका विशेष आकर्षण नारी शक्ति है. इस अंक में इससे संबंधित कई लेख प्रकाशित किए गए हैं.

नए युग की बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग है. डिजिटल बैंकिंग में अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से बैंकिंग के समस्त कार्य कभी भी कहीं से भी किए जा सकते हैं. बैंकिंग सेवाओं के लिए व्यक्ति को बैंक की शाखा में आने की आवश्यकता नहीं होती.

यदि मैं नारी शक्ति की बात करूं तो भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि **''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:''** नारी शक्ति का पुंज होती है. वह परिवार निर्माण की धुरी होती है. वह राष्ट्र निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है. जहां प्राचीन भारतीय नारी यमराज से भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकती थी वहीं आधुनिक भारतीय नारी हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है. वह हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है. यहां तक कि देश के सर्वोच्च पदों पर भी सफलतापूर्वक कार्य करती है. वह विज्ञान, राजनीति, प्रशासन, सेना, अंतरिक्ष, पायलट जैसे जोखिम भरे कार्यों में भी आगे बढ़कर सहभागिता कर रही है.

समाज में नारी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है. एक शिक्षित नारी का अर्थ है पूरे परिवार का शिक्षित होना. इसलिए इस ओर सभी को ध्यान देना चाहिए. ध्यान रखिए कि आज की नारी किसी भी स्तर पर किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित.

(पॉपी शर्मा)
महाप्रबंधक - राजभाषा

यदि तुम में सहनशक्ति है तो तुम में किसी बात की कमी नहीं - नारायण दास

नए युग की बैंकिंग और नारी शक्ति

द्विधा कृत्वात्मनो देहं अर्धेन पुरुषोऽभवत्
अर्धेन नारी तस्यां स विराजं असृजत्प्रभुः

अर्थात हिरण्यगर्भ ने अपने शरीर के दो भाग किये आधे से पुरुष और आधे से स्त्री का निर्माण हुआ. समाज का निर्माण स्त्री और पुरुष के संयोग से हुआ है, अत: समाज के संचालन के लिए जितनी आवश्यकता पुरुष की है उतनी ही स्त्री की भी. यूं तो जब हम हजारों साल पहले वैदिक काल को देखते हैं, तो हजारों साल पहले के समाज के हर क्षेत्र में नारी को स्वतंत्रता मिली हुई थी, उस समय की स्त्रियां न केवल शिक्षित थी वरण् समाज के प्रशासनिक कार्यों में भी खुद की भागीदारी रखती थी. यही कारण है कि वैदिक युग की महिलाएं अभी भी महिलाओं के लिए आदर्श बनी हुई हैं.

प्राचीन काल से ही स्त्री ने समाज के विकास एवं संरक्षण में अहम् योगदान दिया हैं . समय-समय पर नारी के हर रुप से हम परिचित होते आये हैं. समाज के हर क्षेत्र में नारी का आगमन हो चुका हैं.

वर्तमान समय में नारियां एक सुयोग्य गृहिणी होने के साथ-साथ राजनीति, कानून, सेना, धर्म सभी क्षेत्रों में पुरुष की सहायक और प्रेरक भी है.

अब नारी केवल घर और रसोई तक ही सीमित नहीं है, अब नारी जमीन पर, सरहदों पर दुश्मनों का सामना कर रही है तो वहीं आसमान की ऊचाईयों में भी अपना पर्चम लहरा रही है. आज नारी स्कूलों की शिक्षिका से लेकर आर्थिक संस्था की अध्यक्ष भी है. आज नारी एक मां, बहन, बहू के साथ-साथ देश की बागडोर संभालने वाली राष्ट्रपति भी है. व्यवसाय और व्यापार जैसे पुरुष एकाधिकार वाले क्षेत्र में जिस प्रकार हम महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वो सशक्त नारी शक्ति का परिचय है. इस परिपेक्ष्य में इंदिरा नुई, चंदा कोचर, चित्रा रामकृष्णन, अनीता कपूर, अरुंधति भट्टाचार्या, अंशु सुयश आदि के नाम प्रसिद्ध है.

चूंकि मैं स्वयं बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हूँ, मैं एक बेटी, एक बहन के साथ-साथ एक पद की गरिमा और जिम्मेदार अधिकारी भी हूं, घर के साथ एक पद के कार्यों को भलीभांति साथ लेकर चलना एक चुनौती हैं, परन्तु हम इस चुनौती का भलीभांति निर्वहन कर रहे हैं.

वर्तमान युग महिला सशक्तिकरण का युग है, जहां हमें न केवल शिक्षित और सशक्त महिलाओं को साथ लेकर चलना है बल्कि उन सारी महिलाओं को भी साथ लेकर चलना है जो अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से दूर हैं. उन सब को साथ लेकर चलना ही महिला सशक्तिकरण है. अपने प्रयासों के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. बैंको ने महिलाओं को वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है. जिस कारण उन्हें समाज में सामाजिक आर्थिक समानता प्राप्त हुई है.

भारत सरकार ने बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के क्रम में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से (विशेष कर ग्रामीण भारत में) नवंबर 2013 में एक बड़ा कदम उठाया. सरकार ने पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित देश के प्रथम महिला बैंक की स्थापना की. भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) की स्थापना के साथ एक नये युग बैंकिंग सेवा क्षेत्र की शुरुआत हुई. बीएमबी मुख्य रुप से महिलाओं के स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) के लिए वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है. इसके अलावा महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना भी बीएमबी का उद्देश्य है. बीएमबी का एक अनूठा आर्दश वाक्य हैं- ''महिला सशक्तिकरण, भारत का सशक्तिकरण, इम्पावरिंग वुमेन, इमपावरिंग इंडिया)'' जो स्पष्ट रुप से नारी शक्ति को दर्शाता है.

सत्येन्द्र नाथ बोस जन्म: 1 जनवरी, 1894 कोलकाता, प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री. इनका जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था. मित्रों के बीच 'सत्येन' और विज्ञान जगत में 'एस.एन. बोस' के नाम से जाने गये.

देश में कई महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया है. आज की नारी जागृत और सक्रिय हो गई है. वह अपने अंदर निहित शक्तियों को जानने लगी है.

स्वामी विवेकानंद के अनुसार- ''नारी उतनी ही साहसी है, जितना की पुरुष.'' नारी के लिए स्वामी जी का यह वचन एकदम सटीक है. आज जमाना बदल रहा है और इस बदलाव में नारियां कहीं भी पीछे नहीं रहती.

बैंकिंग के बदलते परिवेश में भी नारी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है. चाहे नई तकनीकी हो या बदलते परिवेश का दबाव सभी में बखूबी अपनी भूमिका निभा रही है.

अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रही है. वो हर चुनौती का बड़ी दृढ़ता से सामना कर रही है, ये संभव हो पा रहा है उस शक्ति के द्वारा जो प्रत्येक नारी के अंदर प्रकृति द्वारा प्रदत है.

शताब्दी देवी राव
सहायक प्रबंधक (मासंवि)
क्षेत्रीय कार्यालय, बरपेटा रोड

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3)3 के अंतर्गत अनिवार्य रुप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागज़ात		
1	सामान्य आदेश	General Orders
2	संकल्प	Resolution
3	परिपत्र	Circulars
4	नियम	Rules
5	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release/Communiques
7	संविदाएं	Contracts
8	करार	Agreements
9	अनुज्ञप्तियां	Licences
10	निविदा प्रारुप	Tender Forms
11	अनुज्ञा पत्र	Permits
12	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13	अधिसूचनाएं	Notifications
14	संसद के समक्ष् रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र	Reports and documents to be laid before the Parliament

भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं- बोसॉन और फर्मियान. इनमें से बोसॉन सत्येन्द्र नाथ बोस के नाम पर ही है.

नारी शक्ति

8 मार्च 1975 को यूनाइटेड नेशंस से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है. साथ ही साथ 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की सापेक्षता का जश्न मनाना है.

पुराने समय से ही नारी समाज का एक अभिन्न अंग रही है, नारी के बिना देश का विकास रुक जाता है, हमारे भारत देश में नारियों का प्राचीन काल से विशेष स्थान रहा है, आधुनिक भारतीय समाज में महिलाएं वास्तव में आगे बढ़ रही हैं और हमारे समाज तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.

नारी में सहनशीलता, प्रेम, धैर्य और ममता जैसे गुण मौजूद हैं. किसी भी समाज की कल्पना नारी के बिना नहीं की जा सकती है. जब कोई नारी कोई भी चीज करने की ठान लेती है, तो वह कर दिखाती है.

नारी की हिम्मत और सहनशीलता पुरुषों से भी अधिक है. नारी अपने वादों से पीछे नहीं हटती है और अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है एवं कठिन परिस्थितियों में अपनी शक्ति का परिचय देती हुई नजर आती है.

देश में कई महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्र में अपने साहस और सूझ बूझ का परिचय दिया है. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ निडर होकर जंग लड़ी और आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी.

नारी ने अपने हर रूप में यह साबित किया है कि वह अबला नहीं सबला है. वक्त आने पर वह अपने हालातों से लड़ भी सकती है और उसे काबू में भी कर सकती है. नारी चाहे वह माँ हो, बहन हो, या फिर पत्नी उसके हर रूप में उसका सम्मान करना चाहिए.

''कोमल है कमजोर नहीं तू,
शक्ति का नाम ही नारी है
जग को जीवन देने वाली
मौत भी तुझसे हारी है.''

नारी के गर्भ से जीवन का आरंभ होता है. नारी अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाती है. वह बिना थके घंटों काम करती है. वह अपने परिवार के सदस्यों की देख रेख करती है. जब परिवार का कोई भी सदस्य कभी बीमार पड़ता है, तो वह उसकी देख भाल करती है. जब घर का कोई सदस्य थक कर घर आता है तो महिलाएं खाना परोसती हैं और परिवार के किसी भी सदस्य की चिंता और थकान को अपनी बातों से दूर कर देती हैं. वह बच्चों की शिक्षक बन जाती और उन्हे पढ़ाती हैं और अपने घरेलू नुस्खों से परिवार के सदस्यों का इलाज भी करती हैं. वह बिना शर्त रखे सभी काम करती हैं और अपनों को खुश रखती हैं. वह औरो की जिंदगी में खुशी लाने के लिए बलिदान भी करती हैं.

आज की महिलाएं कमजोर नहीं हैं. वह शिक्षित हो रही हैं. वह अपने विचारों को घर-बाहर निडर होकर रखती हैं. वह सम्मान और मर्यादा में रहना जानती हैं. वह संस्कारों का पालन करती हैं. अगर कोई उनका असम्मान करता है तो अब वह चुप नहीं रहती है. महिलाओं ने अपने अधिकारों को पहचान लिया है. और हर क्षेत्र में अपनी सशक्त भूमिका निभा रही है.

पहले के जमाने में लड़कियों का पढ़ना लिखना अच्छा नहीं माना जाता था. उन्हें घर की चार दीवारी में जैसे कैद कर लिया जाता था. वह अपना कोई भी निर्णय खुद नहीं ले पाती थी. आज नारी शिक्षित हो रही है. ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं काम न कर रही हो. आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है. पुरुषों से किसी भी मामले में वह पीछे नहीं है. बहुत से स्थानों पर महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है.

आजकल महिलाएं उच्च पदों पर काम कर रही हैं और घर चला रही हैं. वह घर और दफ्तर दोनों को बराबर संभाल रही हैं. महिलाएं खुद अपने पाँव पर खड़ी हो रही है और घर का खर्चा चला रही हैं.

''संस्कृति पूरे विश्व को अपना निवास स्थान बनाती है; हमारा महल जिसमें हम आराम करते हैं और खुद को सभी चीजों के साथ एक पाते हैं.'' - *सत्येंद्र नाथ बोस*

नारी शिक्षित हो गयी है और आज देश में महिलाओं की प्रगति के लिए अभियान चलाये जा रहे हैं. नारी आत्मविश्वास के साथ सभी मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ रही हैं और सफलता प्राप्त कर रही है.

जिस देश में देवी की पूजा की जाती है वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं का असम्मान करते हैं क्योंकि वो यह बात भूल गए हैं कि जब घर, समाज और देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाता है तो महिलाएं माँ काली का रूप धारण कर लेती हैं और अत्याचार करने वाले व्यक्ति का सर्वनाश कर देती हैं. कुछ घरों और समाज में आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है. आज वर्तमान युग में नारी पहले से अधिक जागरूक और समझदार हो गयी है.

जब उनपर अत्याचार बढ़ जाता है तो वह उसके खिलाफ विरोध करना भी जानती हैं. बेवकूफ़ है वो लोग जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं. अब वक्त आ गया है कि पुरुष भी महिलाओं की सोच और उनके विचारधाराओं का सम्मान करें.

नारी बहुत ही साधारण और मीठे स्वभाव की होती है. जितनी सहनशीलता नारी में है, उतनी सहनशीलता पुरुषों में नहीं है. वह हर हालात को सोच समझ कर और धैर्य के साथ संभाल लेती है. पहले के जमाने में लड़कियों को सिर्फ बोझ समझा जाता था. उन्हें घर के कामों में संलग्न कर देते थे. घर वाले सोचते थे कि लड़कियां पढ़ लिखकर क्या करेगी, आगे जाकर उन्हें शादी करके घर ही संभालना है. उस जमाने में लड़कियों की सोच को अहमियत नहीं दी जाती थी.

नारी में संघर्ष करने की अपार शक्ति होती है. वह हर परिस्थति के अनुसार अपने आपको ढाल लेती है. जब भी घर में मुश्किल हालात पैदा होते हैं, तो महिलाएं सभी सदस्यों को संभालती हैं और संयम के साथ सबको सलाह देती हैं.

जब कोई उनके संयम की परीक्षा लेना चाहता है और उन्हें जरूरत से ज्यादा परेशान करता है तो नारी 'शक्ति' का रूप धारण कर लेती है. पहले के जमाने में महिलाओं को अपने ससुराल में रहकर ताने सुनने पड़ते थे. वह सहमी हुई रहती थी. अशिक्षित होने के कारण वह विवश रहती थी. लेकिन आज इक्कीसवी सदी में हालातों में परिवर्तन आ गया है. अब महिलाओं को बोझ नहीं उन्हें एक प्रभावशाली नारी शक्ति के रूप में देखा जाता है.

रानी लक्ष्मीबाई नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण है. उनका विवाह कम उम्र में हो गया था. वह बचपन से ही अन्याय के विरुद्ध लड़ना जानती थी. जब उनके पति की मृत्यु हुई तब उन्होंने झांसी को संभाला और अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी दम तक जंग लड़ी. उन्होने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए अपने साहस का परिचय दिया.

आज की नारी मजबूत है और उनके आँखों में कई सपने हैं. आज की नारी शिक्षित और वह पहले के कुप्रथाओं से बाहर निकल कर आ चुकी है. आज नारी डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक भी है. वह पुरुषों से किसी भी मामले में न तो कमजोर है और न ही कम है. आज नारी आगे बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में अपने देश का नाम रोशन कर रही है. अब वक्त आ गया है कि सभी पुरुष नारी और उनके सोच का सम्मान करें.

पिछले कुछ दशकों में लैंगिक मुद्दे और ''महिला शक्तिकरण'' दुनिया भर में नया मूलमंत्र बन गया है. इस शब्द के साथ बढ़ती परिचितता के परिणामस्वरूप पिछले कई वर्षों से सामाजिक संरचनाओं में असमानताओं को न्यायोचित ठहराने वाली अधिकांश विचारधाराओं का धीमा परिवर्तन हुआ है. 'सशक्तिकरण' की अवधारणा को घेरने वाली उभरती हुई बहसों का उन संस्थाओं की सुस्थापित जडों पर काफी प्रभाव पड़ा है जो मौजूदा सत्ता संरचनाओं जैसे परिवार, राज्य आदि को समर्थन प्रदान करती है. महिलाओं ने उन सीमाओं और बंधनों के बारे मे जागरूक होना शुरु कर दिया है. जिनके भीतर इन सभी वर्षों में उन्हें रखा गया है. उन्होंने स्वनियंत्रण, समाज संस्थाओं में समान स्थान और सम्मान की मांग की है . पिछले कुछ वर्षों में काम के अवसरों, राजनीतिक भागीदारी, स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधनों के वितरण में लैंगिक अंतर को खत्म करने के लिए राज्य द्वारा महिला विकास की रणनीतियों में तेजी से वृद्धि देखी गयी है.

एक राष्ट्र के रूप में भारत ने यहाँ के समाजों में विद्यमान लैंगिक अंतराल को भरने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. भारत का संविधान रोजगार के अवसर की समानता, मतदान का अधिकार और समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करता है. यह महिलाओं के गरिमा पर बहुत ज़ोर देता है और कार्य स्थल पर लिंग- संवेदनशील वातावरण बनाए रखने के लिए मातृत्व राहत जैसे कई प्रावधानों का गठन करता है. सरकारी योजनाएं जैसे 'बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओ', 'जननी सुरक्षा', बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास है. 'महिलाओं

''मुझे पता था कि जब तक मुझे रोका नहीं जाता मैं पूरे रास्ते जाने वाला था. मुझे नहीं पता कि मैं और तेज दौड़ सकता हूं या नहीं. मैं बस उतनी ही तेजी से भागा जितना मैं चल सकता था.'' - *सत्येंद्र नाथ बोस*

के लिए नयी राष्ट्रीय नीति' जैसी नीतियाँ महिला सशक्तिकरण के लिए 'सामाजिक रूप से समावेशी अधिकार-आधारित दृष्टिकोण' का पालन करने का प्रयास है. इसके अलावा, जेंडर बजट वितरण की शुरुआत देश में लिंग विभाजनों में भी संसाधनों के न्यायोचित वितरण का वादा करती है.

पिछले दशक ने कानूनी संदर्भ में 'बलात्कार' और 'हिंसा' जैसे शब्दों की परिभाषाओं के विस्तार का भी अनुभव किया है. अधिनियम 2005, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण और 'अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, और निवारण) जैसे कानूनों के निर्माण के माध्यम से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओ के शोषण को कम करने के लिए कानून ने अपने ढाँचे को विस्तृत किया है. महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के मामलों की पहचान करने और उन्हें दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है. महिला और बाल विकास मंत्रालय विशेष रूप से देश में महिला और बच्चों से संबन्धित मुद्दों, नीतियों और उनके कार्यान्वयन को संबोधित करने के लिए समर्पित है.

भारत ने इन उपायों की शुरुआत के साथ-साथ वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के प्रभाव के तहत अपनी सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में भारी बदलाव देखा है. जनगणना 2001-2011 में महिलाओं की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी है. सेवा क्षेत्र के विस्तार ने महिलाओं के लिए काम के नए अवसर पैदा किए हैं. काफी हद तक, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच मज़दूरी और भागीदारी की भूमिकाओं में समानता देखी जा सकती है. इन्हीं क्षेत्रों में 'उभरती नारी शक्ति' की परिघटना सर्वाधिक तीव्रता से देखी जा रही है.

महिलाएं कई क्षेत्रों में प्रमुख पदों पर हावी हो रही हैं, जो पहले उनके लिए वर्जित थे. सामाजिक संरचनाओं में रणनीतिक पदों पर महिलाओं के उद्भव ने दमनकारी प्रथाओं की अपेक्षाकृत बेहतर समझ और पहचान का मार्ग प्रशस्त किया है. हालांकि, ये परिवर्तन उन मुद्दो की संख्या की तुलना में नगण्य प्रतीत होते हैं जो समाज में महिलाओं की स्थिति को खराब करते रहते हैं. साथ ही नयी चुनौतियाँ सामने आई हैं जो महिलाओं के समग्र विकास में बाधक हैं.

पेशेवर क्षेत्र में करियर उन्मुख महिलाओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में भारी वृद्धि हुई है. देश में तकनीकी विकास के साथ साथ इंटरनेट और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से महिलाओं के यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ जैसे साइबर अपराध बढ़ गए हैं. जैसा कि राष्ट्र विभिन्न वैज्ञानिक और आर्थिक उपलब्धियों का आनंद ले रहा है, इसकी आधी आबादी बलात्कार, तस्करी, घरेलू हिंसा, सम्मान हत्या, एसिड अटैक और यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों से जूझ रही है. बाल विवाह, दहेज की मांग, और कन्या भ्रूण हत्या कानून के माध्यम से उनके निषेध के सख्त प्रयासों के बाद भी एक कठोर वास्तविकता बनी हुई है. समाज में विषम लिंगानुपात के पीछे ये प्रथाएँ प्रमुख कारण है.

जबकि देश प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लैंगिक समानता के सहस्त्राब्दी विकास को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को बधाई का पात्र है, देश ने महिला छात्रों के उच्च ड्रॉपआउट दर पर काबू पाने के लिए बहुत काम किया है. देश शासन में महत्वपूर्ण पदों जैसे राज्य के प्रमुख, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिष्ठित मंत्रालयों और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में शीर्ष स्थान और अन्य रणनीतिक पदों पर महिलाओं को रखने में शीर्ष स्थान पर है.

निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि 'नारी शक्ति' जैसे आकर्षक शीर्षकों की जमीनी हकीकत की पड़ताल करने से लैंगिक न्याय पर विमर्श में अधिक सार और सूक्ष्मता जुड़ जाती है. ये बारीकियाँ समाज द्वारा अब तक हासिल की गयी उपलब्धियों से इनकार नहीं करती हैं बल्कि वास्तव में उस शेष दूरी की ओर इशारा करती हैं जिसे अभी भी कवर करने की आवश्यकता है. समस्या क्षेत्रों और कमजोरियों की पहचान उनके उन्मूलन की दिशा में पहला कदम है. भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लेकर बदलाव लाने के लिए एक समर्पित इच्छाशक्ति दिखाई है, जिसमें शामिल है आदर्श लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण. समाज में विभिन्न स्तरों पर रचनात्मक योजना और व्यापक परिवर्तन के साथ ही नई उभरती ''नारी शक्ति'' जल्द ही भारत में अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर पाएगी.

- पी. शाज़िया
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय -वरंगल

लुई ब्रेल: जन्म- 4 जनवरी 1809, तीन की उम्र में दृष्टि खोई, 16 की उम्र में बना दी भाषा. लेकिन मौत के 16 साल बाद मिली पहचान. ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों की पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई स्वयं भी नेत्रहीन थे.

पुस्तकें पढ़ने की आदत

एक बार मैं हवाई जहाज से यात्रा कर रहा था, बगल की सीट में एक महिला यात्रा के दौरान एक पुस्तक पढ़ रही थी और साथ में उनकी 4 वर्षीय बच्ची भी एक पुस्तक पढ़ रही थी. मैंने आश्चर्य पूर्वक उस भद्र महिला से पूंछा कि ''अरे! आपकी बच्ची भी पुस्तक पढ़ने की शौकीन है,'' उन्होंने उत्तर दिया कि पिछले एक वर्ष से मेरी बेटी भी यात्रा के दौरान मेरे साथ पुस्तक पढ़ती रहती है. उसने आगे कहा कि पुस्तकें पढ़ने की आदत हमें बचपन से ही डालनी चाहिए. कुछ लोग इस उम्र के बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और मोबाइल की लत पड़ जाने से बच्चें पुस्तकों से सहज दूरी बनाने लगते हैं और माता-पिता को बच्चों के होमवर्क के लिए बच्चों से अधिक पढ़ना पड़ता है.

पुस्तकें पढ़ने की आदत हमें बचपन से डालनी चाहिए. महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि 21वीं सदी में ज्ञान का व्यवसाय होगा और ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तकों से बेहतर और कोई सरल संसाधन उपलब्ध नहीं है. आज हम प्रत्येक जानकारी के लिए गूगल बाबा पर आश्रित हो रहे हैं जो कि ठीक नहीं है. जिस प्रकार बार-बार उत्तर कुंजी देखने की आदत से प्रश्न का बेहतर हल खोजने के तरीके से हम वंचित रह जाते हैं. शायद, इसीलिए अब गणित की किताबों में उत्तरकुंजी नहीं छपती है. उदाहरण के लिए जब हम हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी के शब्दकोश से कोई शब्द खोजते हैं उसके साथ उसके समानार्थी, विलोम, विशेषण और क्रिया शब्द भी बोनस के रूप में खोज लेते हैं.

पुस्तकों द्वारा अध्ययन का स्क्रीन लर्निंग कभी विकल्प नहीं बन सकता है. वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है पुस्तकों से किसी विषय का अध्ययन करते समय हमारी स्मरण शक्ति फोटोकापी मेमोरी के तरह कार्य करती है और हम संबन्धित पुस्तक के विषय को पेजवार फोटोकापी की तरह याद कर लेते हैं. इस प्रकार जब कोई विषय हमारी समझ में नहीं आता है तो भी उसे पुस्तकों द्वारा अध्ययन करके याद किया जा सकता है.

आन-लाइन स्क्रीन द्वारा पढ़ने की तुलना में पुस्तकों द्वारा अध्ययन से एकाग्रता का विकास होता है, परिणामस्वरूप हम कम से कम समय में अधिक से अधिक अध्ययन सामग्री का अध्ययन कर पाते हैं. आन-लाइन स्क्रीन में नेट द्वारा अनेक अवांछित विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जो मन को भटकाने के लिए पर्याप्त है. अगर आन-लाइन से उपलब्ध विषय का अध्ययन करना जरूरी हो तो पहले उसे डाउन लोड करना चाहिए और फिर उस विषय को पुस्तक की तरह अपने अनुरूप काट-छाट कर पढ़ना चाहिए. हमें अपने विचारों में मौलिकता, पवित्रता और नवीनता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पुस्तकें अध्ययन की आदत का विकास करना चाहिए. एक अध्ययन के अनुसार, अगर हम प्रतिदिन लगातार 3 सप्ताह तक 2 घंटे नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ते हैं, तो पुस्तकें पढ़ने की आदत बन जाती है.

जब हम अपना अमूल्य समय पुस्तक अध्ययन में लगाते हैं, तो हमें आशा होती है कि अमुक पुस्तक द्वारा हमें पर्याप्त रूप से ज्ञानार्जन मिल जाए. इस संबंध में गदर पार्टी के संस्थापक एवं महान विद्वान लाला हरदयाल ने अपनी पुस्तक ''हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर' में लिखा है कि ''पुस्तक पढ़ते समय मुख्य-मुख्य अंश डायरी में अनिवार्य रूप से लिखना चाहिए, अन्यथा आपका पुस्तक अध्ययन उसी प्रकार बेकार हो जाता है, जिस प्रकार ढ़ालू छत पर वर्षा का पानी नहीं ठहरता है.''

पुस्तक पढ़ने की आदत से हम उन महान मानवों / विद्वानों के ज्ञानार्जन/ साहित्य साधना से लाभान्वित होते हैं जो वर्तमान समय में नहीं हैं या वर्तमान समय में होते हुए किसी न किसी कारण से उनसे नहीं मिल सकते हैं. आज विश्व में जितने भी आविष्कार हुए हैं उनके पीछे पढ़ाकू लोगों का विशेष हाथ रहा है. एक दिन एक ड्राइवर ने बचपन में संसाधनों के अभाव में शिक्षा न प्राप्त कर सकने की पीड़ा व्यक्त करते हुए मुझसे कहा कि ''जो पढ़ा, सो पढ़ा'' शिक्षा प्राप्त करने की सार्थकता नियमित पढ़ने की आदत बनाए रखने में है.

एक बैंकर होने के नाते सभी सेंट्रलाइट्स् का यह कर्तव्य है कि अपने कार्य क्षेत्र के बारे में अपने को अद्यतन बनाए रखें और यह तभी संभव है जब आप प्रतिदिन एक से दो घंटे नियमित रूप से अपने बैंक और विभाग के परिपत्र पढ़ते हैं.

- दर्शन कुमार डिगरा
क्षेत्रीय प्रमुख
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

लुई ब्रेल फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे जिन्होने अंधों के लिये लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की. यह पद्धति 'ब्रेल' नाम से जगप्रसिद्ध है फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल अंधों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए.

मट्टानचेरी : शहर जो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है

भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का देश है जो इसके विविध भूगोल, कला, साहित्य, भाषा, जातीयता, भोजन आदि में परिलक्षित होता है. कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आप कई प्रकार की संस्कृतियों को सह-अस्तित्व में देख सकते हैं. मट्टानचेरी नाम का एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर और केरल राज्य में स्थित फोर्ट-कोच्चि के आस-पास का इलाका इसका बेहतरीन उदाहरण है.

मट्टानचेरी एक ऐसा शहर है जो खुद भारतीय उपमहाद्वीप के एक नमूने का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें पूरे भारत के 20 से अधिक राज्यों के स्थानीय लोग होने की अनूठी पहचान है, जो अपने स्वयं के रीति-रिवाजों, परंपराओं और जीवन शैली को बनाए रखते हुए सद्भाव के साथ रहते हैं. फोर्ट कोचीन और मट्टानचेरी आकर्षण के केंद्र हैं, जहां शहर का विदेशी प्रभाव और बसावट का असाधारण इतिहास विभिन्न स्थापत्य शैली में परिलक्षित होता है.

यह किसी भी पर्यटक के लिए एक आदर्श गंतव्य है जो समृद्ध भारतीय संस्कृति और विरासत को देखना चाहता है. मट्टानचेरी और पास के शहर फोर्ट कोच्चि में है जो अरब सागर की रानी कोच्चि शहर, एर्नाकुलम जिले में स्थित है.

मट्टानचेरी के प्रमुख आकर्षण हैं:

क) विभिन्न राज्यों से आए लोग, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं - भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोग जो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, उनका पास के घरों में एक साथ रहना एक अद्भुत दृश्य है. शहर ने हमेशा विभिन्न संस्कृतियों का स्वागत किया और उन्हें गले लगाया, जिससे उन्हें इस भूमि में पालन-पोषण के साथ आगे बढ़ने में मदद मिली.

ख) यहूदियों और यहूदी आराधनालय का अस्तित्व - मट्टानचेरी एशिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ यहूदी एक समुदाय के रूप में रह रहे हैं. भले ही हर साल यहूदियों की संख्या कम हो रही हो (मुश्किल से आज 20), आप वहां यहूदी बस्तियों के अद्भुत स्मारक देख सकते हैं. उनके घर यूरोपीय वास्तुकला में बने हैं. महारानी एलिजाबेथ ने 1996 में आराधनालय का दौरा किया था.

ग) सुखदायक बैकवाटर और समुद्र - मट्टानचेरी की सुंदरता को इसके आसपास के अप्रवाही के साथ पूरी तरह से देखा जा सकता है. यह शहर कोच्चि शहर से न केवल सड़क बल्कि पानी से भी जुड़ा हुआ है. एक नाव घाट है जिसमें नियमित रूप से यात्रा करने वाली नौकाएँ हैं जो यात्रियों के आवागनन में मद्द करती. अरब सागर की सुंदरता और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए नौका विहार एक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा.

घ) व्यापार केंद्र - इलाइची, काली मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के उत्पादन और वाणिज्य के साथ सदियों से मट्टानचेरी न केवल कोच्चि बल्कि पूरे देश का व्यापार केंद्र रहा है. आप जानते होंगे कि इन विदेशी मसालों के लिए ही पुर्तगाली और अंग्रेज हमारी धरती पर आए थे. आज भी यह प्रमुख केंद्र है जहां से देश-विदेश में मसालों का निर्यात किया जाता है.

ङ) कोचीन तिरुमला देवस्वं मंदिर - सीटीडी मंदिर, जिसे गोश्रीपुरम श्री वेंकटाचलपति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर के हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है. भगवान वेंकटाचलपति के देवता को त्रिमूर्ति (पवित्र त्रिमूर्ति) में से एक, भगवान महाविष्णु के अवतार या अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है, और इसे स्वयंभू (स्व-प्रकट, स्व-उत्पन्न या स्वयं का जन्म) के रूप में माना जाता है. इसमें एशिया का सबसे बड़ा मंदिर-घंटी भी है.

च) यहूदी गली और यहूदी शहर - एक बार जब आप यहूदी गली में प्रवेश करते हैं, वाणिज्यिक परिसर जिसमें सभी व्यवसाय होते हैं, तो आपको लगता है कि आप पूरी तरह से अलग दुनिया में हैं. प्रत्येक छोटी दुकान में आपको फर्नीचर, गहने, कपड़े आदि के रूप में प्राचीन मूल्य की अनूठी वस्तुएं दिखेगी.

''दृढ़ संकल्प शारीरिक अभाव पर विजय प्राप्त करता है. बिना देखे जियो,
लेकिन जो हो वही बनो.'' - *लुई ब्रेल*

छ) मट्टानचेरी महल - मट्टानचेरी महल 1555 ई. में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था और फिर डचों ने इसका जीर्णोद्धार कराया था. इसमें एक अद्भुत आर्ट गैलरी है जो हिंदू पौराणिक कथाओं के सर्वश्रेष्ठ चित्रों को प्रदर्शित करती है. महल के आंतरिक भाग को शाही सामान जैसे टोपी, हथियार, पालकी और शाही फर्नीचर, शाही पोशाक आदि से खूबसूरती से सजाया गया है.

किसी भी अन्य पर्यटन स्थलों के विपरीत, यहां आपको आनंद लेने के लिए किसी विशेष इमारत या किसी विशेष दृश्य में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है- इस शहर में प्रवेश और सड़कों पर टहलते हुए लोगों को अपने दैनिक जीवन में व्यस्त देखना आपको एक असामान्य अनुभव देगा.

कोच्चि किला

मट्टानचेरी के करीब का शहर कोच्चि किला आपके लिए और भी बहुत से सरप्राइज के साथ इंतजार कर रहा है. कोचीन दुर्ग के बीच से गुजरते हुए आप 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वापस चले जाएंगे. आप चारों ओर पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश स्पर्श देख सकते हैं. कोचीन दुर्ग में शायद औपनिवेशिक काल का सबसे अच्छा संरक्षित इतिहास है. इसे जीवंत करने का आदर्श तरीका इसकी पुरानी औपनिवेशिक सड़कों पर टहलना है, इसके वृक्ष-पंक्तिबद्ध रास्ते और समुद्र के किनारे आकर्षक छोटी भूमि है.

वर्ष 2012 से, फोर्ट कोच्चि, द कोच्चि मुजिरिस द्विवार्षिक की मेजबानी करता है, जो एक द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है जो चार महीने तक चलती है. कोचीन कार्निवल एक बहुत लोकप्रिय और भव्य परेड-शो है, जो हर साल नए साल की पूर्व संध्या, यानी 31 दिसंबर को आयोजित किया जाता है.

फोर्ट कोच्चि के प्रमुख आकर्षण निम्नलिखित हैं:

क) चाइनीज मछली का जाल - ये ऊंचे बांबू के चौखटों से भूमी पर स्थापित मछली पकड़ने के बड़े जाल हैं. उनका आकार और सुरुचिपूर्ण निर्माण बहुत ही फोटोजेनिक है और उनके संचालन की धीमी लय काफी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है. ऐसा माना जाता है कि कुबला खान के शासनकाल के दौरान चीनी यात्रियों ने चीनी मछली पकड़ने की इस कला को कोचीन में पेश किया था.

ख) इंडो पुर्तगाली संग्रहालय - फोर्ट कोच्चि में स्थित इंडो-पुर्तगाली संग्रहालय क्षेत्र की कला और वास्तुकला दोनों में मजबूत पुर्तगाली प्रभाव पर प्रकाश डालता है. संग्रहालय आज इंडो-पुर्तगाली ईसाई कला विरासत को समझने के लिए एक

जे सी कुमारप्पा: जन्म- 4 जनवरी 1892, भारत के एक अर्थशास्त्री थे. जे सी कुमारप्पा को भारत में गाँधीवादी अर्थशास्त्र का प्रथम गुरु माना जाता है.

महत्वपूर्ण केंद्र है, जो अभी भी जीवित/ उपलब्ध है. प्रत्येक खंड में प्रदर्शित वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार संग्रहालय को पांच मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है. वे हैं - वेदी, खजाना, जुलूस, नागरिक जीवन और कैथेड्रल.

ग) **कोच्चि दुर्ग समुद्र तट** - कोच्चि दुर्ग समुद्र तट का मुख्य आकर्षण ऐतिहासिक किला है जो भारत-यूरोपीय वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है. यह मछली पकड़ने का गाँव है जो भारत में पहला यूरोपीय शहर बना. यह आराम करने और अपने विचारों को रचनात्मकता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आदर्श माहौल प्रदान करता है.

घ) **सांता क्रूज़ राजगृह** - सांता क्रूज़ बे राजगृह, फोर्ट कोच्चि में के.बी. जैकब रोड पर स्थित एक रोमन कैथोलिक गिरिजाघर है, जो केरल के बेहतरीन और प्रभावशाली चर्चों में से एक है. यह भक्ति का स्थान होने के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है, जो स्थापत्य और कलात्मक भव्यता और प्राचीन शैली के रंगों से सुसज्जित है. कोच्चि आने वाले पर्यटकों के लिए यह शानदार चर्च एक दर्शनीय स्थल है.

ङ) **बिशप हाउस** - पुर्तगाली राज्यपाल के निवास के रूप में 1506 ई. में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित, बिशप दुर्ग हाउस भारत में परेड ग्राउंड, फोर्ट कोच्चि के पास स्थित सबसे पुराना कैथोलिक सूबा है. कोच्चि की एक प्रमुख विरासत, यह बड़े मेहराबों की विशेषता है जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार तक घुमावदार एक गोलाकार उद्यान पथ है.

च) **सेंट फ्रांसिस सीएसआई चर्च/वास्को-डा-गामा चर्च** - मूल रूप से 1503 में निर्मित, भारत में सबसे पुराना यूरोपीय चर्च है और उपमहाद्वीप में यूरोपीय औपनिवेशिक संघर्ष के मूक गवाह के रूप में इसका ऐतिहासिक महत्व है. पुर्तगाली खोजकर्ता, वास्को डी गामा का, 1524 में कोच्चि में निधन हो गया जब वह भारत की अपनी तीसरी यात्रा पर थे. वास्को डी गामा की कब्र का पत्थर आज भी यहां देखा जा सकता है.

खरीददारी की जगहें :

- ज्यू स्ट्रीट पर्यटकों को हस्तशिल्प, प्राचीन फर्नीचर और अन्य उपकरण, कपड़े, गहने, किताबें आदि जैसी खरीदारी की कुछ वस्तुओं के साथ मेज़बानी करता है.
- कोच्चि फोर्ट समुद्र तट के साथ-साथ पैलेस रोड में भी ऐसी दुकानें हैं जो समान वस्तुएं बेचती हैं.
- आप पैलेस रोड, मट्टानचेरी में स्पाइस सेंटर से सबसे स्वादिष्ट और ताज़ा मसाले घर ले जा सकते हैं.

खाने - पीने की जगहें :

फोर्ट कोच्चि समुद्र-तट आपको वास्तविक, पारंपरिक समुद्री-भोजन की सच्ची स्मृति देगा. कोंकणी और गुजराती जैसे स्थानीय व्यंजन, जो मीठे और मसालेदार होते हैं, स्थानीय दुकानों और बेकरियों में उपलब्ध होते हैं.

- संध्या जे.
शाखा प्रबंधक, होनावर शाखा
क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली

अपने जीवनकाल में कुमारप्पा ने गाँधीवादी अर्थशास्त्र से जुड़े विषयों पर न केवल विशद लेखन किया बल्कि एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भारत के दूरस्थ स्थानों में अनेक आर्थिक सर्वेक्षण करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कायाकल्प के लिए सार्थक कार्यनीति का प्रतिपादन भी किया.

असम की लोक संस्कृति

असम भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक अत्यंत मनमोहक राज्य है, जो विविध संस्कृतियों का मिलन स्थल है. असमिया संस्कृति की एक लंबी आत्मसात प्रक्रिया के माध्यम से विकसित इन सभी जातियों का एक समृद्ध चित्रपट है. असम राज्य के मूल निवासी 'असमिया' के रूप में जाने जाते हैं. राज्य में बड़ी संख्या में जनजातियाँ हैं और प्रत्येक जनजाति अपनी परंपरा, संस्कृति, पोशाक और आकर्षक जीवन शैली में अद्वितीय है. बोड़ो, कछारी, कार्बी, मिरी, मिशिमी, राभा आदि विविध जनजातियाँ असम में निवास करती हैं और अधिकांश जनजातियों की अपनी भाषाएं हैं, हालांकि असमिया राज्य की प्रमुख भाषा है.

असम में ऐसे कई तत्व हैं जिनका उपयोग विश्वासों, भावनाओं, गर्व, पहचान आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा रहा है जो असमिया संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक तत्व माने जाते हैं. सर्वोत्कृष्ट प्रतीक असमिया 'गमूछा', 'जापी', 'तामूल पान', 'सोराई' आदि हैं. असमिया 'गमूछा' को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत टेग (जी.आई टेग) भी मिला है जो सारे असमवासियों के लिए गर्व की बात है. गमूछा लगभग सभी सामाजिक-धार्मिक समारोहों का एक अभिन्न अंग है, जो सूती से बुना हुआ सफेद आयताकार कपड़ा है.

बहुसंख्यक असमिया वैष्णव (हिंदू धर्म का एक संप्रदाय) हैं, जो एकेश्वरवादी है और मूर्ति पूजा नहीं करते है. वे नामकीर्तन करते हैं जहां भगवान विष्णु की महिमा का पाठ किया जाता है. दो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थान जो असम के सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं: 'सत्र', धार्मिक और सांस्कृतिक अभ्यास का स्थल जो 400 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और 'नामघर', जो प्रार्थना का घर है. गाँव आमतौर पर कई अलग-अलग जातियों के परिवारों से बने होते हैं. असम में विविध धर्म जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम आदि भी प्रचलित हैं.

असम का राजकीय त्योहार बिहू है, जो सभी जाति, पंथ या धर्म के सभी असमियों द्वारा बड़े धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है. एक वर्ष में तीन बिहू अलग अलग महीनों में होते हैं. ये तीन बिहू माघ बिहू, काती बिहू और बहाग बिहू है. असम में मुख्य रूप से धान की खेती होती है और ये तीनों बिहु इसकी बुवाई से लेकर कटाई तक के सफर से जुड़े हैं. बिहू के साथ-साथ असम में रासलीला, कामाख्या मंदिर में अंबुबाशी मेला, दुर्गा पुजा, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि धार्मिक त्योहार राज्य भर में श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं.

असम कई प्रकार के रेशम का तथा सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित 'मूगा' का घर है. मूगा के अलावा अन्य दो प्रमुख किस्म है - 'पाट'- जो एक चांदी की भांति चमकदार रेशम है और 'एरी' - जो सर्दियों के लिए गर्म कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. पारंपरिक रेशम उद्योग के केंद्र सुआलकुची के अलावा, ब्रह्मपुत्र घाटी के लगभग हर हिस्से के ग्रामीण परिवार बुने हुए उत्कृष्ट डिजाइन वाले रेशम और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करते हैं. इसके अलावा, असम में विभिन्न जातीय-सांस्कृतिक समूह बुने हुए डिज़ाईन और अद्भुत रंग संयोजन के साथ विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्र बनाते हैं.

असमिया आभूषण असमिया संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक हैं. यह आम तौर पर सोने से बना होता है जिसे 'कच्चा सोना' कहा जाता है. ये आभूषण असमिया संस्कृति का एक बहुत प्रतिष्ठित हिस्सा हैं. कुछ लोकप्रिय पारंपरिक असमिया आभूषणों में केरू, थूरिया, जंगफाई, सोना या मकोरी के झुमके शामिल हैं, इसके साथ गोलपाटा, सतसोरी, जून बीरी, ढोलबीरी, डोगडोगी आदि भी इसमें शामिल है. आभूषण आमतौर पर हाथ से बने होते हैं, और डिजाइन ज्यादातर क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों को दर्शाते हैं.

असम में चाय या 'साह' असमिया व्यंजनों का एक अनिवार्य हिस्सा है. पारंपरिक नाश्ते में 'जोलपान', 'पिठा' और 'लारू'

> ''मानव जीवन शायद ही कभी सौ साल तक पहुंचता है जबकि... प्रकृति के जीवन को मापने के लिए खगोलीय आंकड़े चलेंगे ... यह इस सापेक्ष अर्थ में है कि हम 'स्थायित्व की अर्थव्यवस्था' की बात करते हैं.'' - *जे सी कुमारप्पा*

शामिल होते हैं. ये विभिन्न प्रकार के चावल के आटे से बने होते हैं. असमिया थाली में सादे उबले हुए चावल, दाल, विभिन्न सब्जी का एक मिश्रण, आलू का चोखा, विभिन्न प्रकार के साग आदि होते हैं. साथ में किण्वित बांस का अचार या खोरीसा, खारोली (सरसों का पेस्ट) शामिल है. असमिया भोजन में मछली और विभिन्न प्रकार के मांस भी शामिल हैं. भोजन आमतौर पर बेल धातु के बर्तनों में परोसा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है.

असम अपनी प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विरासत के कारण सैलानियों को बेहद प्रिय है. यहां के रोमांचक जंगल, चाय के बगान और ब्रह्मपुत्र नदी पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करती है. यहां के माजुली द्वीप वैष्णव संप्रदाय के नृत्य-संगीत, वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मठों का घर है. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का सबसे पुराना दर्शनीय स्थल है, जहां एक सिंग वाला गेंडा मुख्य आकर्षण है. साथ ही सिबसागर शहर आहोम राजवंश के विभिन्न महल, स्मारक और उनके द्वारा निर्मित ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन के लिए उत्तम जगह है. कामरूप में स्थित कामाख्या मंदिर एक महत्वपूर्ण शक्ति पीठ है, जिसका दर्शन बहुत पावन माना जाता है.

असम उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार हैं, जिसकी वर्तमान आबादी लगभग तीस करोड़ है. अपनी प्राकृतिक खूबसूरती एवं समृद्ध इतिहास व संस्कृति के कारण असम और पूरे उत्तर पूर्व को आज एक अलग पहचान मिल रही है.

राज कुमार
मुख्य प्रबंधक
अपर असम क्षेत्रीय कार्यालय

स्वामी विवेकानन्द, जन्म: 12 जनवरी 1863, वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे. उनका वास्तविक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था.

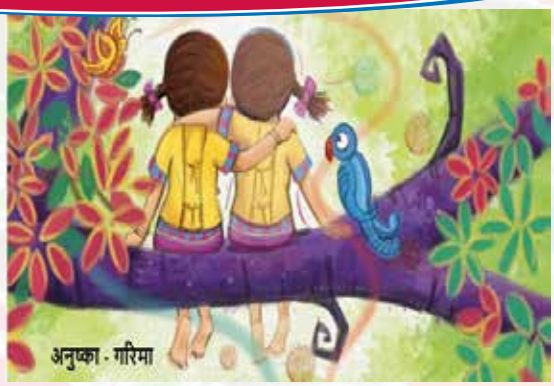

महिला सशक्तिकरण : एक संवाद

अनुष्का गीत गा रही है -

''कोमल है कमजोर नहीं तू.
शक्ति का नाम ही नारी है..
जग को जीवन देने वाली.
मौत भी तुझसे हारी है..''

गरिमा : कितना प्रेरणास्पद गीत है दीदी ! पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब शक्ति का नाम ही नारी है तो सशक्तिकरण का पाठ क्यों पढ़ा रही है. वह तो खुद ही सशक्त है, सबल है .

अनुष्का : बिलकुल सही. इतिहास के आईने में देखें तो प्रारंभिक काल में स्त्री पुरुष को समान अधिकार थे. साझा दायित्व थे. सामुदायिक संगठन और लामबंदी के अध्ययन से तुमने मानव के विकास क्रम के अंश में इस सत्य और तथ्य को विस्तार से जान ही लिया है.

गरिमा : वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि बराबरी और समता के इस समाज से आगे बढ़ते हुए समाज में विकृतियां क्यों आ गयीं ?

अनुष्का : बस यूँ समझ लो कि 'लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई'.

गरिमा : पहेलियाँ मत बुझाओ दीदी. विस्तार से पूरी बात बताओ.

अनुष्का : आदिम युगीन मानव समाज स्त्री-पुरुष के भेद भाव से रहित था. सब साथ मिलकर शिकार करते, खाते और रहते थे. शिकार के लिए गुफाओं से बाहर जाने की आवश्यकता होती थी.

बच्चों को जन्म और जीवन देने का वरदान प्रकृति से स्त्री को ही मिला है. शिशुओं के लालन पालन के दायित्व के कारण कालांतर में नारी की भूमिकाएं घर की चार दीवारी तक सीमित होने लगी.

प्रगति, परिवर्तन और विकास के क्रम में पुरुष की प्रधानता बढ़ती गई और स्त्री की भूमिका गौण होती गई . इतना ही नहीं, परम्पराओं और रीति रिवाजों की आड़ में कुछ ऐसी अवैज्ञानिक और तर्कहीन मान्यताओं ने जनमानस के मस्तिष्क में गहरी जड़ें जमा ली जिनसे मुक्ति पाना अब भी एक चुनौती है.

गरिमा : तो क्या बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, दहेज़ प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथाओं के विरोध में कोई आवाज नहीं उठी ? किसी कोने से विरोध का स्वर नहीं फूटा ?

अनुष्का : नहीं-नहीं गरिमा, इन अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने, अन्धविश्वास और रूढ़ियों से जकड़े समाज को शिक्षा और वैज्ञानिक चिंतन के नए युग में ले जाने के लिए संगठित प्रयासों का काल भी आया, जिसे हम इतिहास में पुनर्जागरण काल भी कहते हैं. इस युग के महान दार्शनिक चिंतकों ने अज्ञानता और अंध - विश्वास, पाखंड और वैचारिक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े समाज को अपने तर्क ज्ञान और विवेक से मुक्ति का एक नया मार्ग दिखाया.

गरिमा : कौन थे वो महामानव ?

अनुष्का : स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेन्ट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा ज्योति बा फुले, विवेकानंद, सावित्री फूले, महादेव गोविन्द रानडे इत्यादि.

स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन् 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था. भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदान्त दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानन्द की वक्तृता के कारण ही पहुँचा.

गरिमा : इन महान विभूतियों ने क्या किया ?

अनुष्का : स्त्री को बराबरी का दर्जा देने की पुरजोर वकालत. कुरीतियों के अंत के लिए क़ानूनी प्रावधान. स्त्री शिक्षा के महत्त्व को बढ़ावा देना और विधवा विवाह का समर्थन करना.

गरिमा : कोई फ़र्क़ पड़ा ?

अनुष्का : बिलकुल. इन सभी के प्रयत्नों से समाज में जागरूकता आई. कुप्रथाओं का विरोध हुआ. समता मूलक समाज की जरूरत को लोगों ने समझा. लोग जुड़े और लामबंद हुए.

गरिमा : नारी के विरूद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए कानून तो बने दीदी पर वो प्रभावी कहाँ है ? आज के समाचार पत्र घरेलू हिंसा, दहेज़ हत्याओं और महिला उत्पीड़न की ख़बरों से भरे रहते हैं.

अनुष्का : बात तो ठीक ही है तुम्हारी. अकेले कानूनों से बात नहीं बनेगी.

गरिमा : तो फिर ?

अनुष्का : लोगों को बदलना होगा. लोगों की सोच को बदलना होगा. हमें संगठित होना होगा. लोगों को जोड़ना होगा तब जाकर परिवर्तन आएगा.

गरिमा : परिवर्तन तो आ ही रहा है दीदी. अब आप मध्य प्रदेश राज्य के पंचायत चुनाव को ही देख लो, जिसमें पचास प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित थे और छप्पन प्रतिशत महिलाओं ने सरपंच का चुनाव जीता है.

अनुष्का : गरिमा आज तुम चाहे जिस भी क्षेत्र में देख लो, हर जगह महिलाओं का परचम लहरा रहा है. प्रवीणता सूची में लड़कियों का कब्ज़ा, खेल के मैदान में लड़कियों को मैडल, उच्च पदों पर नारी शक्ति का चयन. सर्वत्र सफलता और सम्मान.

गरिमा : यही हाल रहा तो दीदी कुछ दिनों में लड़कों को मीलों पीछे छोड़कर नारियां शिखर पर होंगी ?

अनुष्का : नहीं गरिमा. इतिहास नारियों को पीछे छोड़ने की गलती कर चुका है. अब इसे दोहराने की गलती करना मूर्खता होगी. देखो, विकास के लक्ष्यों को पाना है तो महिला और पुरुष को बराबर योगदान करना होगा. अपनी-अपनी भूमिकाएं निभानी होंगी. जैसे एक चूहे की गाड़ी मंजिल या लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकती उसी तरह महिला और पुरुष दोनों के साझा प्रयासों के बगैर लक्ष्य प्राप्ति असंभव होगी.

गरिमा : दीदी आदर्श स्थिति क्या होगी ?

अनुष्का : विश्व के इतिहास पर नजर डालें तो विविध कालखडों में, विविध भौगोलिक परिस्थितियों में कभी स्त्री सत्ता का तो कभी पुरुष सत्ता का बोलबाला रहा. इसे उतार-चढ़ाव की एक लहर के रूप में देखा जा सकता है.

आदर्श स्थिति है जेंडर भेदभाव रहित समता मूलक समाज. जहाँ स्त्री और पुरुष बिना किसी पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता के, विकास में बराबर के भागीदार हों. प्रतिस्पर्धा का स्थान परस्पर पूरकता ले. अपने-अपने दायित्व और अपनी-अपनी भूमिकाएं हों.

गरिमा : दीदी पिछले दिनों मैंने विकसित देशों की सूची देखी उसमे हमारा देश तो बहुत पीछे है.

अनुष्का : सही कहा तुमने. विकास के कई मानकों में हमारा देश अभी भी पीछे है. विकास के क्षेत्र में काम करने वालों का अनुभव रहा है कि यदि हम महिलाओं को केंद्रित कर प्रयास करते हैं तो इसके दूरगामी सफल परिणाम मिलेंगे.

गरिमा : हम क्या कर सकते हैं?

अनुष्का : संगठित और लामबंद होकर प्रयास. हमारे देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारना एक बड़ी चुनौती है.

इसके दो आयाम हैं - सामाजिक और आर्थिक.

आर्थिक क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसरों और कौशल तथा दक्षता को बढ़ाकर मजबूती हासिल करनी है. नारी शोषण बीते युग का जुमला था. नारी सशक्तिकरण और विकास भावी मंत्र हैं. समझीं?

गरिमा : खूब अच्छे से दीदी.

नेहा अग्रवाल
वरिष्ठ प्रबंधक - आईटी
सरकारी व्यवसाय

''जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे स्वयं को बनाना पड़ता है. जिसने जैसा मार्ग बनाया, उसे वैसी ही मंजिल मिलती है.'' - *स्वामी विवेकानंद*

काव्यकुंज

मां ढूंढती तेरी थपकियां

घुप अंधेरी रातों में
यादों की जज़्बातों में,
जब नैनों से नींदे ग़ायब हों
तब आती नहीं हैं झपकियाँ,
माँ ढूँढती तेरी थपकियाँ।

पहाड़ ज्ञान के चढ़ के भी
पोथे सारी पढ़ के भी,
जब अकाल लवज़ों के पड़े
तब तोड़ता सब चुप्पियाँ,
माँ ढूँढती तेरी थपकियाँ।

अब सो के उठता देर से
नहीं डरता माँ मैं तेरे से,
जब अचानक आई जवानी हो
तब देता नहीं कोई धमकियां,
माँ ढूँढती तेरी थपकियाँ।

हूँ एकांतवास में
खुद की ही तलास में,
जब हांसिल नहीं कुछ हो रहा हो
तब निकलती मेरी सिसकियाँ,
माँ ढूँढती तेरी थपकियाँ।

हूँ तो तेरा चाँद मैं
तुझसे ही आबाद मैं,
जब याद मुझे तुम करती हो
तब आती हैं मुझको हिचकियाँ,
माँ ढूँढती तेरी थपकियाँ
माँ ढूँढती तेरी थपकियाँ

सरिता सोनी
सहायक प्रबंधक (मानव संपदा प्रबंधन)
केन्द्रीय कार्यालय

पंखों की फरियाद

पंख तो है मेरे पास ना जाने कब से,
बस उड़ान भरने का ही जज्बा तलाश रही हूं तब से.
मैंने पूछा अपने हाथ की लकीरों से, कैसा मेरा और तुम्हारा यह नाता है,
तुम इतनी जल्दी खत्म हो जाती हो, पर मेरा तो बहुत आगे बढ़ने का इरादा है.

नीचे गिराने की मुझे वह करते हैं बात, पर वह तो खुद नीचे खड़े हैं जनाब.
तो क्यों लाना चाहते हैं मुझे जमी पर बार-बार,
जबकि मेरे पंख तो करते हैं कुछ और ही फरियाद.

सीमा तय कर रोक दिया गया था मुझे, पर आज खड़ी हूं उसी सीमा से सटे,
जहां वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं बड़े-बड़े.

राहें छूट गई हो,
पर मंजिल फिर भी मिल जाएगी.
विश्वास हो खुद पर तो,
राहें खुद ब खुद दिख जायेगी.

विश्वास हैं मुझे खुद के पंखों पर,
ना कोई सीमा तय कर रोक पाया है मुझे,
ना रोक पाने का साहस कर पाएगा कोई.

कार्तिक मित्तल
सहायक प्रबंधक (मानव संपदा प्रबंधन)
केन्द्रीय कार्यालय

''कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है. ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है. अगर कोई पाप है, तो वो यही है; ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं.'' - *स्वामी विवेकानंद*

नारी शक्ति को सुदृढ़ बनाने हेतु एक ठोस व व्यापक कानून- यौन शोषण निवारण अधिनियम

सर्वविदित है कि सदियों से महिलाओं का किसी न किसी रूप में शोषण होता रहा है. पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला है तथा महिलाओं को सदा ही पुरुषों के मुकाबले में निम्न समझा जाता रहा है. हालांकि भारतीय संविधान में महिलाओं को बराबर के अधिकार देने की बात कही गई है तथा समय-समय पर सरकार द्वारा महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलवाने हेतु समुचित व ठोस कदम भी उठाए जाते रहे हैं परंतु फिर भी महिलाओं को अभी तक वांछित समानता व अधिकार नहीं मिल पाए हैं.

देश में जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचार व प्रसार हो रहा है वैसे-वैसे महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है. परिणाम स्वरूप अनेक महिलाएं उच्च पदों पर कार्यरत होने के साथ-साथ आम जीवन के कार्यकलापों में भी बढ़-चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही है. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसे-जैसे महिलाएं अपनी आजीविका कमाने हेतु अधिक से अधिक कार्यरत हो रही हैं वैसे-वैसे उनके प्रति यौन शोषण की घटनाएं भी निरंतर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है. स्थिति इतनी नाजुक प्रतीत हो रही है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए और असुरक्षित माना जाने लगा है. इसका एक पहलू यह भी है कि बहुत सी महिलाएं यौन शोषण के विरुद्ध शिकायत करने हेतु वांछित साहस न जुटा पाने के कारण शिकायत करने की बजाय अपनी नौकरी छोड़ना पसंद करती हैं, जोकि अत्यंत ही गंभीर विषय है.

स्थिति को देखते हुए वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं का यौन शोषण रोकने हेतु एक समुचित कानून पारित किया गया. उक्त कानून पारित होने से पूर्व यौन शोषण हेतु पीड़ित महिला को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवानी पड़ती थी जिसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल थी तथा न्याय मिलने में काफी लंबा समय लगता था. लेकिन सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 पारित होने के साथ ही शिकायत का निपटारा शीघ्र व समुचित रूप से होने लगा है.

अधिनियम के प्रतिपादन हेतु पृष्ठभूमि:

कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण का मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में निर्मित किया गया था. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यौन शोषण महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. माननीय न्यायालय ने भारतीय संविधान में निहित आत्म सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के मुद्दे पर भी जोड़ दिया. साथ ही माननीय न्यायालय ने महिलाओं को यौन उत्पीड़न से उबारने हेतु कुछ दिशानिर्देश भी दिए हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया.

इस अधिनियम का उद्देश्य मूल रूप से कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करना तथा यौन शोषण संबंधी शिकायतों को कम करना व उनका निपटारा करना है. इस अधिनियम की धाराएं सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं पर एक समान लागू होती है. यहां एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यद्यपि कार्यस्थल का तात्पर्य केवल ऑफिस है, वहीं माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशों को लागू करने के उद्देश्य से कार्यालय या कार्यस्थल शब्द का विस्तृत रूप इस अधिनियम में लिया गया है. अधिनियम के तहत जहां-जहां भी नियोक्ता व कर्मचारी का

भारत के प्रथम और विश्व के 138 वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब राज्य के पटियाला जिले में हुआ था जो 1984 में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने.

आपसी संबंध स्थापित हो सकता है वह सभी संस्थान कार्यस्थल की श्रेणी में आते हैं.

यौन शोषण की परिभाषा:

आम बोल-चाल की भाषा में किसी महिला को यौन गतिविधि में शामिल होने का आग्रह करना या शारीरिक रूप से यौन व्यवहार को उजागर करना यौन शोषण कहलाता है. इस तरह के व्यवहार से शिकार महिला अपमानित तो महसूस करती ही है साथ ही साथ उसको मानसिक आघात भी पहुंचता है. अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित यौन शोषण की श्रेणी में आते हैं-

- इच्छा के विरुद्ध किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क या छेड़छाड़.
- यौन गतिविधि में शामिल होने का आग्रह.
- यौन संबंधी बातें करना.
- अश्लील चित्र या चलचित्र दिखाना.
- यौन इच्छाओं को उजागर करने वाली शारीरिक या मौखिक क्रिया.
- रोजगार के संबंध में किसी भी तरह की तरजीह देने का वादा.
- रोजगार के संबंध में किसी भी तरह की हानि पहुंचाने की धमकी.
- कोई भी अपमानजनक व्यवहार जो महिला की सेहत व सुरक्षा को हानि पहुंचा सकता है.

इसी बिंदु पर की अमुक व्यवहार यौन शोषण की श्रेणी में आता है या नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रीट याचिका संख्या वंश 139/2019 दायर की गई जिसमें शिकायतकर्ता महिला ने यह आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया है जो यौन शोषण है. माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह वर्णित नहीं किया कि अनुचित व्यवहार किस तरह से यौन शोषण की श्रेणी में आता है. शिकायतकर्ता अपना आरोप सिद्ध नहीं कर पाई. माननीय न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि आरोपी का मात्र जोर-जोर से शिकायतकर्ता को बोलना यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आता.

आंतरिक शिकायत समिति:

अधिनियम की धारा 3 में आंतरिक समिति के गठन का प्रावधान किया गया जो यौन शोषण संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करेगी. प्रत्येक नियोक्ता जिसके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उप समिति का गठन करेगा. समिति में पीठासीन अधिकारी सहित कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए. समिति में कम से कम आधी मेंबर महिलाएं होनी चाहिए. यदि किसी नियोक्ता के पास 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं तो ऐसी अवस्था में स्थानीय शिकायत समिति गठन करने का प्रावधान धारा 6 के अंतर्गत किया गया है. यदि शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध है तो यौन शोषण की शिकायत स्थानीय शिकायत समिति को की जाएगी.

शिकायत दायर करने की प्रक्रिया:

पीड़ित महिला यौन शोषण की शिकायत घटना घटित होने के 3 महीने के अंदर आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को कर सकती है. यदि शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है, तो वह किसी दूसरे व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने हेतु अधिकृत कर सकती है. धारा 10 में यह व्यवस्था है कि शिकायत समिति शिकायत पर जांच शुरू करने के पूर्व दोनों पक्षों में सुलह करवाने हेतु पर्याप्त प्रयास करेगी. यदि दोनों पक्षों में सुलह हो जाती है तो शिकायत समिति समझौते की शर्तों को लिखित रूप में रिकॉर्ड करेगी तथा मामला बंद करने हेतु अपनी अनुशंसा करेगी. दोनों पक्षों में समझौता नहीं होने की दशा में समिति जांच आरंभ करेगी.

अधिनियम की धारा 111 में यह प्रावधान है कि आंतरिक व स्थानीय समिति को न्यायालय की तरह समंस जारी करने, उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेज पेश करने इत्यादि का अधिकार प्राप्त है. धारा 12 के अनुसार जांच के लंबित होने के दौरान पीड़ित महिला के लिखित अनुरोध पर समिति नियोक्ता को यह अनुशंसा

राकेश बचपन से ही विज्ञान में काफी रूचि रखते थें. बिगड़ी चीजों को बनाना और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बारीकी से नजर रखना उनकी आदत थी.

कर सकती है कि या तो प्रतिवादी या पीड़ित महिला का किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण करें या पीड़ित महिला को 3 माह की अतिरिक्त छुट्टी प्रदान करे. नियोक्ता समिति की अनुशंसा को स्वीकार करने हेतु बाध्य है. इसकी सूचना नियोक्ता समिति को भेजेगा.

धारा 13 के अनुसार अंतरिक्ष समिति या स्थानीय समिति जांच समाप्त होने पर इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी को 10 दिन के अंदर प्रेषित करेगी. रिपोर्ट की प्रति सभी पक्षों को भी उपलब्ध करवाई जाएगी. जहां समिति द्वारा यह पाया जाता है कि शिकायतकर्ता महिला की शिकायत सिद्ध नहीं हो पा रही, समिति वाद को समाप्त करने की अनुशंसा करती है. लेकिन यदि शिकायत सही पाई जाती है तो समिति निम्नलिखित अनुशंसा कर सकती है-

- प्रतिवादी पर लागू सेवा नियमों के तहत कार्यवाही.
- प्रतिवादी के वेतन से उचित राशि पीड़ित महिला को दी जाए.
- यदि प्रतिवादी किसी कारण से उक्त राशि देने में असमर्थ है तो उक्त राशि को रेवेन्यू बकाया के रूप में वसूल करने हेतु कार्यवाही. उचित राशि को निर्धारित करते समय समिति इन बातों को ध्यान में रखेगी. जैसे पुलिस महिला द्वारा झेला गया मानसिक व शारीरिक व प्रतिष्ठा का आघात.
- आजीविका को पहुंचा नुकसान.
- चिकित्सा पर खर्च यदि कोई हो इत्यादि.
- इसके साथ-साथ प्रतिवादी का सामर्थ्य भी समिति ध्यान में रखेगी.

एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि यौन शोषण अधिनियम के अंतर्गत की गई जांच स्वतंत्र तथा अलग है. इस जांच को विभागीय जांच के बराबर नहीं माना जा सकता. इस अधिनियम के अंतर्गत की गई जांच से आरोपी कर्मचारी पर मात्र आरोप सिद्ध हो सकता है. इस जांच के आधार पर आरोपी कर्मचारी को दंड नहीं दिया जा सकता. आरोपी कर्मचारी को दंड देने हेतु कर्मचारी पर लागू आचरण नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही करना बाध्य है. ऐसा ही एक केस कोलकाता उच्च न्यायालय के सामने आया. इस केस में आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध 2013 के अधिनियम अंतर्गत आरोप सिद्ध हो गए थे. विभाग ने कर्मचारी को घोर आचरण का दोषी मानकर उसे सेवा से हटाने हेतु कार्यवाही की. कर्मचारी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की. माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय आचरण नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही के बिना उसे सेवा से हटाया नहीं जा सकता.

महिला द्वारा झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत:

यदि कोई महिला झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत दायर करती है या अपनी शिकायत के समर्थन में जाली या गुमराह करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करती है तो संबंधित समिति को यह अधिकार है कि वह नियोक्ता को उस महिला के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा करें. इसी तरह की कार्यवाही झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी की जा सकती है.

नियोक्ता के कर्तव्य:

- कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करना.
- अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के बारे में सूचना पटल पर सूचना दर्शाना.
- सूचना पटल पर आंतरिक शिकायत समिति के गठन के बारे में सूचना दर्शाना.
- समय-समय पर कर्मचारियों को अधिनियम की धाराओं के बारे में अवगत करवाने हेतु कार्यशालाओं व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना.
- अंतरिक्ष आंतरिक शिकायत समिति तथा स्थानीय शिकायत समिति को शिकायतों की जांच हेतु उचित सुविधा प्रदान करना.
- हेतु आंतरिक स्थानीय समितियों की सहायता करना.
- पीड़ित महिला यदि अपनी शिकायत भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य अधिनियम में करना चाहे तो उक्त महिला की सहायता करना.

राकेश जब बड़े हुए तो आसमान में उड़ते हवाई जहाज को तब तक देखा करते थे जब तक वह उनकी आंखो से ओझल ना हो जाए. जल्द ही राकेश के मन में आसमान में उड़ने की तमन्ना जाग गई फिर वह उसी ओर लग गए.

- यौन शोषण को सेवा नियमों के तहत दुराचार मानते हुए उक्त दुराचार हेतु उचित कार्यवाही.
- अंतरिक्ष समिति द्वाराअपनी रिपोर्ट समय पर दे दी जाए इसकी निगरानी करना.

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार यदि कोई नियोक्ता आंतरिक का शिकायत समिति गठन नहीं करता, प्रतिवादी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करता, अधिनियम के किसी भी धारा का उल्लंघन करता है या किसी को उल्लंघन करने हेतु उच्चायुक्त करना है तो वह नियोक्ता ₹ 50000 का दंड देने हेतु जिम्मेदार होगा दूसरी बार उल्लंघन करने पर यह दंड दोगुना हो सकता है. उचित कार्यवाई के रहते शो में सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है.

निष्कर्ष कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण उत्पीड़न एक अत्यंत ही दुख का विषय है कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए उपयुक्त वातावरण ना होने के कारण उनका वहां कार्य करना अत्यंत कठिन हो जाता है और यौन उत्पीड़न पीड़ित महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी बाधा है. सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी बात है यौन उत्पीड़न के कारण महिलाएं अपना सामर्थ्य सिद्ध नहीं कर पाती तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के भय से अपनी आवाज नहीं उठा पाती जिसके कारण अपना आत्मविश्वास खो देती है अत: वांछित है कि कुछ समाज सेवी संस्थाएं आगे आकर यौन शोषण के विरुद्ध आवाज उठाएं, आम जनता को यौन शोषण के दुष्परिणामों के बारे में अवगत करवाएं.

ए. के. बंसल
सहायक महाप्रबंधक- विधि
सेवानिवृत्त

शाखा भिवानी के अधीनस्थ कर्मचारी श्रीमती लाली द्वारा ईमानदारी/सत्यनिष्ठा का परिचय

हम सहर्ष सूचित करना चाहते हैं कि रोहतक क्षेत्र की शाखा भिवानी में कार्यरत स्टाफ श्रीमती लाली पदनाम- (सफाई कर्मचारी) कर्मचारी संख्या 112092 ने ईमानदारी/सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्ष सेवा भाव का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दिनांक 06/02/2023 को लॉकर रूम में रूपये 50000/- कैश मिला जिसकी सूचना उन्होंने शाखा प्रबंधक श्री सुनील सिंगल को जाकर दी. शाखा भिवानी के लॉकर नं. 367, के लॉकर धारक श्री अनिल कुमार लॉकर ऑपरेट करते समय उक्त धनराशि जल्दबाजी में लॉकर रूम में भूल गये थे. शाखा प्रबंधक ने ग्राहक श्री अनिल कुमार को शाखा में बुलाया एवं उनके 50000/- रूपये की धनराशि शाखा प्रबंधक श्री सुनील कुमार सिंघल की उपस्थिति में उन्हें लौटा दी. हम सुश्री लाली देवी की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की सराहना करते हैं. हमें अपनी सेंट्रलाइट साथी सुश्री लाली देवी पर गर्व है.

सुश्री लाली देवी
सफाई कर्मचारी
शाखा, भिवानी

35वीं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र, शर्मा 1970 में एक परीक्षण पायलट के रूप में भारतीय वायु सेना में शामिल हुए और कई स्तरों के माध्यम से प्रगति की, जहां 1984 में उन्हें स्क्वाड्रन लीडर के पद पर पदोन्नत किया गया. भारतीय वायु सेना और सोवियत इंटरकोस्मोस अंतरिक्ष कार्यक्रम के बीच एक संयुक्त कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री बनने और अंतरिक्ष में जाने के लिए 20 सितंबर 1982 को चुना गया था.

नारी शक्ति

''नारी गौरव है, सम्मान है
आदि शक्ति का दूजा नाम है
नारी के ही द्वारा रचा ये विधान है
हे नारी शक्ति तुझे शत-शत प्रणाम है''

नारी समाज का एक अभिन्न अंग है. किसी भी समाज तथा देश की कल्पना नारी के बिना नहीं की जा सकती. हमारे भारत देश में नारियों का प्राचीन काल से विशेष स्थान रहा है. भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा गया है - यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता: अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है वहां देवताओं का वास होता है. प्राचीन भारतीय संस्कृति में दैवीय गुणों के प्रकटीकरण के रूप में नारीत्व का सम्मान किया गया है, नारीत्व दया, नि:स्वार्थ प्रेम और दूसरों की देखभाल में व्यक्त मानवता के शाश्वत गुणों का प्रतीक है.

नारी के अंदर सहनशीलता, धैर्य, प्रेम, ममता और मधुर वाणी जैसे अनगिनत गुण विद्यमान होते हैं. वह बहुत से क्षेत्रों में पुरुषों से बेहतरीन कर अपनी शक्ति का परिचय देती है, नारी हमारे समाज और राष्ट्र के विकास की धुरी है, नारी का विकास किए बिना राष्ट्र का विकास असम्भव है इसीलिए नारी को जगत जननी कहा जाता हैं, नारी के गर्भ से जीवन का आरम्भ होता है, नारी अपने जीवन में विभिन्न भूमिकाएं निभाती है. नारी ही माता के रूप में बच्चों को पालती हैं, पत्नी और बेटी के रूप में सेविका का कार्य करती हैं और देश की आन-बान शान के लिए वह वीरांगना के रूप में रक्षा भी करती है, इसीलिए सम्पूर्ण नारी जाति को ''नारी शक्ति'' की संज्ञा दी जाती है.

नारी शक्ति चेतना का प्रतीक है. साथ ही यह प्रकृति की प्रमुख सहचरी भी है जो जड़ स्वरूप पुरुष को अपनी चेतना प्रकृति से आकृष्ट कर शिव और शक्ति का मिलन कराती है. साथ ही संसार की सार्थकता सिद्ध करती है. तथा कठिन परिस्थितियां आने पर वह हमेशा अपनी शक्ति का परिचय देती है.

यदि कोई नारी कुछ करने का निश्चय कर ले तो वह उस कार्य को करे बिना पीछे नहीं हटती है और वह बहुत से क्षेत्रों में पुरूषों से बेहतरीन कार्य कर अपनी शक्ति का परिचय देती है।

प्राचीन काल से ही हमारे समाज में झाँसी की रानी, कल्पना चावला और इंदिरा गाँधी जैसी बहुत सी महिलाएँ रही हैं जिन्होंने समय समय पर नारी शक्ति का परिचय दिया है और समाज को बताया है कि नारी अबला नहीं सबला है. आज की नारी हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, तथा नारी अपने परिवार के साथ- साथ समाज और देश की उन्नति में भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहीं हैं.

आधुनिक युग में भी महिलाओं ने अपने अधिकारों के बारे में जाना है और अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने लगी हैं. आज भी महिला कोमल और मधुर ही है लेकिन उसने अपने अन्दर की नारी शक्ति को जागृत किया है और अन्याय का विरोध करना शुरू किया है.

सुश्री कोमल कटारिया
वरिष्ठ प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक

फील्ड मार्शल कोडन्देरा मादप्प कारियप्पा, जन्म 28 जनवरी 1899 भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे. उन्होने सन् 1947 के भारत-पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया. वे भारत के दो फील्ड मार्शलों में से एक हैं. कोडांदेरा मदप्पा करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे.

काव्यकुंज

अबला नहीं हो तुम नारी हो

करुणा की सागर को धार बना के, तुम भी लहरों सी हुंकार भरो।
अबला नहीं हो तुम नारी हो, इस बात का अभिमान करो?

दिखाये कोई आँख अगर तो, न तुम सहम सी जाना।
चाहे पकड़े कोई हांथ तुम्हारा, ना डर कर तुम चुप रह जाना?

उठो लड़ो और आंगे बढ़ो?,समस्याओं का अपनी खुद समाधान बनो।
अबला नहीं हो तुम नारी हो, इस बात का अभिमान करो?

दुनिया का ये मंच कठिन है,पर इस पर डट कर बनी रहना।
चाहे लगे कोई राह कठिन, नेपथ्य में न खड़ी रहना?

हिम्मत को साथी चुन कर, हर मंजिल को तुम फतह करो।
अबला नहीं हो तुम नारी हो, इस बात का अभिमान करो?

जन्म से लेकर मृत्यु तक, आखिर कब अपने लिए जियोगी।
समाज के ठेकेदारों के लिए, कब तक अपनी इच्छाओं को कुचलोगी?

समाज के कल्याण का हिस्सा, अब इज्जत से तुम भी बनो।
अबला नहीं हो तुम नारी हो, इस बात का अभिमान करो?

तुम्हें भी जीने का अधिकार मिला है, इस जीवन को न व्यर्थ करो।
उठो, चलो और आंगे बढ़ो, और नारी जीवन को सार्थ करो?

सदियों से महान हो तुम, सदैव सर्वोच्च ही बनी रहो।
अबला नहीं हो तुम नारी हो, इस बात का अभिमान करो?

जितेंद्र राय
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर

भोपाल क्षेत्र स्थित परी बाज़ार शाखा में हमारे अधीनस्थ कर्मचारी श्री नसीम आलम ने ईमानदारी का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी नियमित ड्यूटि करते समय एक बोरी में कुछ मूल्यवान वस्तुओं को पाया और उन्होंने बिना अन्य विचार किए तुरंत इसकी सूचना शाखा प्रमुख को दी. ईमानदारी के इस कार्य के लिए श्री नसीम आलम को हमारी शाखा में क्षेत्रीय प्रमुख महोदय श्री बी आर रामाकृष्णाएम नायक द्वारा सम्मानित किया गया. सेन्ट्रलाइट परिवार आप की सराहना करता है.

ब्रिटिश शासन के 200 साल बाद पहली बार किसी भारतीय को भारतीय सेना की बागडोर दी गई थी. करियप्पा को 'किपर' के नाम से भी पुकारा जाता है, 87 साल की उम्र में वो फील्डमार्शल बने थे. करियप्पा की वजह से ही लेह भारत का हिस्सा बना.

सभी कार्य धैर्य से होते हैं, जल्दबाज मनुष्य सिर के बल गिरता है - शेख सादी

भारतीय लोक उत्सव- अतुल्य भारत की सांस्कृतिक विरासत

भारत विविधताओं का देश है. इन्हीं विविधताओं में से एक हमारे अतुल्य भारत के लोक उत्सव हैं. अगर सही मायने में आप भारत को समझना या भ्रमण करना चाहते हैं, तो बगैर इन लोक उत्सवों के वह अधूरा होगा.

भारत देश में हर प्रांत, हर मौसम एवं हर धर्म के विविध लोक उत्सव मिलेंगे, किन्तु इन सारे लोक उत्सवों को मनाने की परंपरा काफी हद तक एक प्रतीत होती है. उत्सव कोई भी हो, लेकिन इनमें बहुत सारी भावनात्मक समानताएँ हैं, उदाहरण के तौर पर अपने इष्ट की प्रार्थनाएं, उनसे कुशलता की कामना, सामाजिक सद्भावनाओं का आदान-प्रदान, घरों को सजाना, नए वस्त्र एवं पारंपरिक आभूषण धारण करना, खान-पान का आयोजन, नृत्य एवं संगीत, साथ ही साथ पारंपरिक खेलकूद का आयोजन. अतएव यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम भारतीय अपने विश्वास, संस्कृति एवं परंपराओं को न सिर्फ इन लोक उत्सवों को मनाकर परिलक्षित करते हैं, बल्कि इन्हें किसी न किसी मायने में जीवित रखते हैं.

वैसे लोक उत्सवों की सूची देखेंगे तो पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा लोक उत्सव मनाए जाते हैं. किन्तु मुख्य रूप से लोक उत्सव तीन भागों में बंधे हैं. धार्मिक, मौसमी एवं राष्ट्रीय. धार्मिक उत्सवों की विशेषता यह है कि हर धार्मिक उत्सव भले ही किसी धर्म विशेष के द्वारा मनाए जाते हैं, परन्तु उनमें हर एक धर्मों की भागीदारी जरूर दिखाई पड़ती है. जहां हिन्दु दीपावली, होली, दशहरा जैसे उत्सव मनाते हैं, वहीं मुसलमान भाई ईद, मुहर्रम, बकरीद; तो ईसाई क्रिसमस, ईस्टर एवं सिख भाई प्रकाश पर्व, गुरुनानक जयंती मनाते हैं. इन सारे धार्मिक उत्सवों का पारंपरिक महत्व तो है ही, साथ ही इनके साथ ऐतिहासिक धारणा एवं सद्भावना भी जुड़ी हैं.

भारत सदियों से एक कृषि प्रधान देश रहा है. अत: कृषि से संबंधित लोक उत्सव न हो ऐसी परिकल्पना मात्र ही होगी. भारत में फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक उत्सव मनाए जाते हैं. कृषि उत्सवों में प्रमुख पंजाब में लोहरी, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओनम, असम में बिहु, उत्तर भारत में मकर संक्रांति, महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व इत्यादि हैं. कृषि लोक उत्सवों की एक खासियत है कि ये भले ही अलग-अलग प्रांतों एवं भिन्न-भिन्न तरीकों से मनाए जाते हैं, लेकिन इन उत्सवों का उद्देश्य एक है और यही एकता हमारे देश की पारंपरिक विरासत है.

सरदार बल्लभभाई पटेल के ''एक भारत, श्रेष्ठ भारत'' की कल्पना को हमारे ये लोक उत्सव ही साकार करते हैं. जिस प्रकार हम अपने धार्मिक एवं कृषि उत्सवों को भिन्नता से मनाकर भी एकता प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय उत्सव भी हमें एक साथ एक मंच पर आने का मौका देते हैं. हम अपनी आजादी के महापर्व को प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को एकसाथ एकजुट होकर मनाते हैं, भले ही वे किसी भी धर्म या प्रांत के हो. ठीक उसी प्रकार हम गणतंत्र दिवस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी एक राष्ट्र के रूप में मनाते हैं.

हमारे ये सारे लोक उत्सव उस रंग-बिरंगी मोतियों की तरह हैं जो अलग अलग होकर जितने खूबसूरत हैं, उतने ही एक साथ एक माला में गुंथे हुए हैं, जो हमारे अतुल्य भारत को एक अखण्ड भारत, एक श्रेष्ठ भारत बनाते हैं.

विकास कुमार
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, अपर असम.

अपनी अभूतपूर्व योग्यता और नेतृत्व के गुणों के कारण करिअप्पा बराबर प्रगति करते गए और अनेक उपलब्धियों को प्राप्त किया. सेना में कमीशन पाने वाले प्रथम भारतीयों में वे भी शामिल थे. अनेक मोर्चों पर उन्होंने भारतीय सेना का पूरी तरह से सफल नेतृत्व किया था. स्वतंत्रता से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सेना में 'डिप्टी चीफ़ ऑफ़ जनरल स्टाफ़' के पद पर नियुक्त कर दिया था. किसी भी भारतीय व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ा सम्मान था.

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आपस में अपनापन रखने वाले एक जैसे सूक्ष्म उद्यमियों का ऐसा समूह है जो अपनी आय से सुविधाजनक तरीके से बचत करने और उसको समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करने और उसे समूह के सदस्यों को उनकी उत्पादक और उपभोग जरूरतों के लिए समूह द्वारा तय ब्याज, अवधि और अन्य शर्तों पर दिए जाने के लिए आपस मे सहमत होते हैं.

बांग्लादेश में 1970 के दशक के दौरान गरीब और समाज के निम्न तबके के लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु 'स्वयं सहायता समूह' की अवधारणा को 'बांग्लादेश ग्रामीण बैंक' के रूप में जीवंत रूप प्रदान करने वाले नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. मोहम्मद यूनुस का योगदान अविस्मरणीय है. आज भी स्वयं सहायता समूह बहुत प्रासंगिक है. इन समूहों के माध्यम से सभी सदस्य अपनी सामूहिक बचत निधि से जरूरतमंद सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं जिससे वे सदस्य स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका उपार्जन हेतु अपनी-अपनी उद्यमशीलता को आकार प्रदान करते हैं.

विकासशील देशों के लिए स्वयं सहायता समूह जमीनी स्तर पर जनसामान्य के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम है. वहीं दूसरी ओर इस अवधारणा को न केवल सामान्य लोगों द्वारा अपनाया जाता है बल्कि दुनिया भर की सरकारी व बेसरकारी संस्थाएं भी स्वयं सहायता समूह के महत्व को बखूबी समझती हैं.

भारत में आर्थिक उदारीकरण (1991-92) के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था तथा इस प्रक्रिया में नाबार्ड की भूमिका प्रमुख रही है. वहीं भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान स्वयं सहायता समूहों को जमीनी-स्तर पर विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग में लाया गया।

स्वयं सहायता समूहों का लक्ष्य

- गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना.
- स्कूली शिक्षा मे योगदान करना.
- पोषण मे सुधार करना.
- जन्म दर में नियंत्रण करना.

कई स्वयं सहायता समूह नाबार्ड की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम की तरह बैंकों से उधार लेते हैं, इस मॉडल ने सेवाओं को गरीब जनसंख्या तक पहुँचाने का कार्य किया है.

स्वयं सहायता समूहों का संचालन

समूह के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रत्येक समूह अपने सदस्यों में से ही तीन प्रतिनिधि- अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव की नियुक्ति करता है, ताकि समूह क्रियाविधि, सुचारू रूप से चल सके. पदाधिकारियों को चुनने का आधार मुख्यत: शिक्षा तथा आत्मविश्वास होता है, ताकि समूह में हिसाब-किताब का काम वे स्वयं कर सके. प्राय: सुविधादाता द्वारा कभी-कभी इनको समूह चलाने के लिए प्रशिक्षण भी दी जाती है. प्रत्येक महीने समूह की नियमित बैठक होती है, जो कि किसी सार्वजनिक स्थान या सदस्य के घर बारी-बारी से होती है.

महिला स्वयं सहायता समूह समान स्तर की 10 से 20 महिलाओं का वह समूह है, जिसके सदस्य स्वेच्छा से इसकी सदस्यता प्राप्त कर पारस्परिक सहयोग व एकता जैसे सिद्धांतों के आधार पर

सुभाष चन्द्र बोस, जन्म 23 जनवरी 1897 भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे. द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, उन्होंने आज़ाद हिन्द फ़ौज का गठन किया था. उनके द्वारा दिया गया ''जय हिन्द'' का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है. ''तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा'' का नारा भी उनका था जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया.

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाभदायक होती है.

बचत व साख जैसी आर्थिक गतिविधियों की शुरूआत कर सकते हैं. विभिन्न समूहों के अध्ययन से एक विशेष तथ्य सामने आया है कि महिलाओं के समूह या ऐसे समूह जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, अधिक सफल व निरंतर कार्यशील रहे हैं। इसी तथ्य को ध्यान मे रखकर महिलाओं की अधिक भागीदारी की सिफारिश की जाती है.

स्वयं सहायता समूहों का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव

स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म-गौरव इत्यादि में वृद्धि होती है क्योंकि घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी-छोटी बचत इकट्ठी करके, ऋण लेकर, बैंक कर्मचारियों से संपर्क, लघु उद्यम स्थापित करके, समूह की बैठकों की कार्यवाई संचालित करके महिलाओं में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास होता है -

- **स्वनिर्णय की शक्ति** - स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में काम करने के कारण महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है. महिलाओं द्वारा बैंकों के साथ लेन-देन, कागजी कार्रवाई करने से उनमें आत्मविश्वास पनपता है. समूह की गतिविधियों के संचालन, बैठकों में भाग लेने से महिलाओं की स्वनिर्णय की क्षमताओं का विकास होता है जिससे धीरे-धीरे परिवार और समुदाय में उनकी सोच को आवाज मिलती है.
- **जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता** - समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ जाती है. घर के चारदीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं इन समूहों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं, बैंक, सरकारी तंत्र, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि से संपर्क में आती है जिससे उनके पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते हैं. सूचना एवं संसाधनों की उपलब्धता महिलाओं को सशक्त बनाती है.
- **सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता** - अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने वाली महिलाओं की सामूदायिक कार्यों में सहभागिता, पंचायत बैठकों में उपस्थिति सक्रिय होती है. अन्य महिलाओं की अपेक्षा ये महिलाएं अपनी बात समूदाय के सामने अधिक बलपूर्वक रख पाती हैं.
- **आर्थिक आत्मनिर्भरता** - स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनती हैं जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है. इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी इस्तेमाल तथा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं. अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं.
- **मनोवैज्ञानिक विकास** - स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाओं द्वारा स्वयं की पहल पर सामाजिक बदलावों के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है. उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है.

अत: हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह जैसी संगठन महिलाओं के आर्थिक विकास के साथ-साथ समाज व सरकार के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

रुश्मिता सिंघा
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, अपर असम

''यह खून ही है जो स्वतंत्रता की कीमत चुका सकता है. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा.'' ''अपने देश के प्रति हमेशा वफ़ादार रहने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले सैनिक अजेय होते हैं.'' - *सुभाष चन्द्र बोस*

ऋण-वसूली में वार्ता कौशल का महत्त्व

बैंकिंग क्षेत्र की मुख्य और परम्परागत गतिविधि जमा संग्रहण करना और उस जमा राशि को ऋण के रुप में वितरित किया जाना है. यह गतिविधि अपनी परिसम्पत्तियों के अधिकतम उपयोग के द्वारा लाभ अर्जित किए जाने की प्रक्रिया से भी अभिन्न रुप से जुडी हुई है. लाभ प्राप्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि और उसकी निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि ऋण की स्वीकृति प्रक्रिया और सम्पूर्ण कालावधि में ऋण की गुणवत्ता में गिरावट ना आने पाए. जहां एक ओर परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता का कायम रहना बैंकों की कार्यकुशलता का परिचायक है वहीं दूसरी ओर बढता एनपीए बढते ऋण-जोखिम की चेतावनी देता है. इससे उस बैंक विशेष की लाभार्जन क्षमता भी प्रतिकूल रुप से प्रभावित होती है क्योंकि यह उच्च- प्रावधान और ऋण लागत की जरुरतों को बढा देता है.

एनपीए की समस्या के पीछे कई आंतरिक और वाह्य परिस्थितियां जिम्मेवार हो सकती हैं जिनमें ऋण-राशि का डायवर्जन, प्रबंधन की विफलता, व्यावसायिक शिथिलता, श्रमिक समस्या इत्यादि प्रमुख रुप से उल्लेखनीय हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11जनवरी 2021 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में एनपीए का प्रबंधन एक मुख्य चिंता का विषय है और यदि समय रहते इसके नियंत्रण हेतु उपयुक्त कदम ना उठाये गए तो हालात और भी खराब हो सकते हैं.

सकल एनपीए की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार, भारिबैं एवं विभिन्न बैंक, इस एनपीए को नियंत्रण में रखने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए एक व्यापक कार्य योजना पर काम कर रहे हैं.

यदि हम एनपीए वसूली प्रक्रिया में वार्ता कौशल या बातचीत की कला का प्रयोग उचित तरीके से करें तो निर्धारित नीतियों, योजनाओं, अनुदेशों-दिशानिदेशों में बिना किसी विचलन के हम इसके द्वारा उल्लेखनीय ऋण वसूली के माध्यम से अवमानक आस्तियों में पर्याप्त कमी ला सकते हैं.

आखिर यह वार्ता कौशल या बातचीत की कला क्या है? यह कौशल या कला इतनी महत्त्वपूर्ण क्यों हैं? इसे हम प्रभावी तरीके से कैसे प्रयोग में ला सकते हैं?

दर-असल, वार्ता कौशल या बातचीत की कला कुछ और नहीं, बस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति/ पार्टियां अपनी किसी पारस्परिक समस्या, मुद्दे, मतभेद या संघर्ष को शिष्ट और सुसंस्कृत तरीके से सुलझाने के लिए सामान्य रूप से राजी होते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में वार्ता कौशल का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. आज जबकि दुनिया के कई देश नाभिकीय हथियारों से लैस हैं, वे भी अपने व्यवसायिक हित, अस्मिता व संप्रभुता की रक्षा इत्यादि मुद्दों को सुलझाने के लिए नाभिकीय हथियारों का उपयोग नहीं करते बल्कि इसके बजाय शिखर सम्मेलनों एवं द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सुलझाने को प्राथमिकता देते हैं. विभिन्न देशों में राजनयिकों एवं उच्चायुक्तों की नियुक्तियां भी, समस्याओं / जटिल मुद्दों को सुलझाने में एवं सम्बन्धों को मधुर बनाए रखने में, वार्ता कौशल के महत्त्व को रेखांकित करती हैं.

जहां तक ऋण वसूली में वार्ता-कौशल का सम्बन्ध है, बातचीत की प्रक्रिया को तीन भागों बांटा जा सकता है :

1. ऋणी से मुलाकात की आरम्भिक तैयारी
2. ऋणी से मुलाकात करना
3. मुलाकात के पश्चात की कार्रवाई

1. **आरम्भिक तैयारी :** ऋणी से मिलने से पूर्व हमें उसके बारे में विभिन्न स्रोतों से महत्त्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना आवश्यक है. जैसे कि नाम, पता, व्यवसाय, इकाई/गतिविधि की वर्तमान स्थिति, खाते का विवरण, दस्तावेज, भावनात्मक मुद्दा, (यदि कोई हो तो) आदि.

   हम उसके जीवन से जुड़े किसी प्रभावशाली व्यक्ति का भी पता लगाएं. यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है जैसे कि उसके

''स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है, यदि कोई संघर्ष नहीं है - यदि कोई जोखिम नहीं लिया जाता है, तो जीवन अपना आधा हित खो देता है. हम संघर्षों और उनके समाधानों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं.''

- सुभाष चन्द्र बोस

परिवार का कोई सदस्य, पूर्व शिक्षक, सामाजिक नेता, बीसी/बीई, पुजारी धर्म- गुरु आदि.

उक्त आवश्यक जानकारी एकत्रित करने में सबस्टाफ, पूर्व-स्टाफ, ग्राहक आदि महत्त्वपूर्ण रोल अदा करते हैं.

2. **ऋणी से मुलाकात :** ऋणी से मुलाकात करते समय निम्न बिंदु अत्यंत उपयोगी साबित हो सकते हैं :

- उधारकर्ता की गरिमा, आत्म सम्मान एवं उसके समय की उपयुक्तता का पूरी तरह से ध्यान रखना आवश्यक है तथा इसके लिए सौजन्यता एवं सामान्य शिष्टाचार के नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करना जरूरी है.
- डिफाल्ट राशि के भुगतान पर ऋणी को मिलने वाले लाभों को विशेष रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए. इसके भुगतान न कर पाने पर होने वाले नुकसानों पर फोकस न हो. जब हम ऋण की डिफाल्ट राशि के भुगतान के फायदों पर केंद्रित रहते हैं तो ऋण के भुगतान न करने पर होने वाले नुकसानों की जानकारी उसके पास स्वत: ही पहुंच जाती है. उदाहरण के तौर पर, ऋणी को यह बताए कि ऋण के भुगतान से उसका सिबिल स्कोर बेहतर होगा, कृषि गतिविधियों हेतु नया ऋण तत्काल स्वीकृत किया जा सकता है. बैंक द्वारा आयोजित सार्वजनिक/ सामूहिक कार्यक्रमों में उनके सम्मान का प्रस्ताव भी उन्हें दिया जा सकता है जिससे ऋणी की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. इससे ऋणी पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
- ऋणी से इस मसले पर बात करते समय, शब्दों का ध्यानपूर्वक चयन करना लाभदायक हो सकता है. जैसे कि, ''आप इस ऋण को 'क्यों' नहीं चुका रहे हो?'' की बजाय हम कह सकते हैं कि ''वे क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से आप ऋण नहीं चुका पा रहे हो?''.
- जीवन का अनुभव और विभिन्न अध्ययन दलों के शोध यह बताते हैं कि ''क्यों'' ऋणी की ईमानदारी पर सवाल उठाता है जबकि ''क्या'' स्थितियों व वित्तीय हालातों पर केंद्रित होता है और कई बार इसी में से कोई न कोई समाधान निकल आता है. ''क्या'' ऋणी को समाधान उन्मुख बनाता है जबकि ''क्यों'' उसे रक्षात्मक बना देता है. ''क्या'' से वसूली के मौके बहुत बढ़ जाते हैं जबकि ''क्यों'' से यह मौके नगण्य हो जाते हैं.
- इस बातचीत के समय हम उन्हें उन विद्यमान ऋणियों की सफलता की सच्ची- कहानियाँ भी सुना सकते हैं जिन्होनें बैंक/शाखा से 10-15 वर्ष पूर्व कोई छोटी ऋण सुविधा ली एवं बैंक के ऋण को ईमानदारी से समय पर चुकाने में वित्तीय अनुशासन का पालन करके अब 5 करोड/10 करोड रुपये की लिमिट यानी साख सीमा का लाभ ले रहे हैं. इस प्रकार की सफलता की कहानियां ऋणी को डिफाल्ट राशि का भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित कर सकती हैं.
- बातचीत की समाप्ति के समय कहे जाने वाले शब्द हमेशा प्रेरक हो, यह बेहद असरकारक हो सकते हैं. जैसे कि ''इस मुलाकात में आपका दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक था एवं आप अवश्य ही इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएंगे'' आदि. इससे हमारी बातचीत में लक्ष्य प्राप्ति की सम्भावना या सफलता की दर बढ़ जाती है.

3. **मुलाकात के पश्चात की कार्रवाई:** बैठक के दौरान पार्टीयों द्वारा किए गए वायदों पर उचित फालो-अप (अनुवर्ती कार्रवाई) होना आवश्यक है. इसके अभाव में भी अधिकांश बातचीत असफल हो जाती है. इसलिए वायदों और वचन- बद्धता का स्वयं भी सम्मान किया जाए एवं नियमित अंतराल पर ऋणी से व्यक्तिगत मुलाकात कर/टेलिफोन से/डिजिटल माध्यम से उसकी वचनबद्धता का स्मरण कराया जा सकता है.

ऊपर वर्णित वार्ता कौशल या बातचीत की कला पर आधारित रणनीतियां महज सांकेतिक हैं तथापि इनका इस्तेमाल यदि सुचिंतित और सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए तो यह ऋण की प्रभावी वसूली में उत्तम परिणाम ला सकती हैं.

प्रदीप पाटिल
सहायक महाप्रबंधक
एस एस बी, चेन्नई

भारत मां को वीरों की जननी कहा जाता है. इस धरती पर कई ऐसे वीर सपूत हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए इस देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया. ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे- शेर-ए-पंजाब लाला लाजपत राय. जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी.

अभिशाप बना वरदान

एक लडकी थी, जो सुन नहीं सकती थी
फिर भी आपसे दोस्ती कर सकती थी.
एक लडकी थी, बचपन में गंभीर बीमारी से ग्रसित हुई
तो आंखों से रोशनी चली गई
साथ में
सुनने की क्षमता भी चली गई
जिसकी आंख में रोशनी न थी,
कानों में आवाज की पहचान न थी.
फिर भी उसने दूसरों को रोशनी देने के लिए,
87 वर्षों तक संघर्ष किया.
अंधों और अपंगों को जी भर कर जीना सिखाया.
उसने दर्जनों किताबें लिखीं, ऐनी की मदद से
मूक बधिरों की भाषा सीखी.
पहली नेत्रहीन, बधिर ग्रेजुएट लडकी बनी.
कौन थी वह ?

जिसने कहा -
अपंगता जीवन का अंत नहीं
अपंग तो अपने काम से,
औरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं,
शारीरिक अक्षमता मनुष्य को
''मजबूर नहीं, मशहूर बनाती है''.
असामान्य व्यक्ति के लिए - असाधारण काम
उनके मन और विचारों की शक्ति का परिणाम है.
वह लडकी थी ''हेलन केलर''
जो अंधों के हितों के लिए अमेरिका के बारह राष्ट्रपतियों से मिली,
हेलेन केलर की पहली पुस्तक
स्टोरी ऑफ माई लाईफ का पचास भाषाओं में अनुवाद हुआ है.
उसने कहा -
नेत्रहीन न तो जीनियस है, न असामान्य, न ही कमजोर.
उनके पास तो एक दिमाग है, जो शिक्षित हो सकता है.
उने पास भी महत्वाकांक्षा है जिन्हें पूरा करने का उनको भी अधिकार है.
वो भी कोशिश कर सकते हैं, अपने काम से रोशनी पर विजय प्राप्त कर सकते है.
एक बार किसी ने हेलन केलर से पूछा,
''न देख सकने से ज्यादा बुरा जीवन में क्या हो सकता है ?''

उसने कहा -
देख सकना और उससे भी बुरा है देखकर न देखना
(अंधा वह नहीं, जो देख नहीं सकता, बल्कि अंधा वह है जो देखकर भी नहीं देखता है)
अंधी, बहरी, गूंगी हेलन केलर का कहना था कि -
मेरे लिए जिन्दगी मोहक वस्तु है.
मेरे जीवन की अर्ध शताब्दी ने अगर मुझे कुछ सिखाया है तो वह यह कि आप स्वयं ही अपने लिए शांति प्राप्त कर सकते हैं.

उसने एक बार यह भी कहा है कि -
उल्लंघन के लिए अगर रेखायें नहीं होती
जीवन के लिए अगर बाधायें नहीं होती,
पार करने के लिए यदि सीमायें नही होती,
तो मानव जीवन में, पुरस्कार की तरह आने वाले आनंद में कमी अवश्य आ जाती.

हेलन केलर का कहना था कि -
मैं केवल एक हूँ और मेरे जैसी केवल मैं ही हूँ.
मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं,
अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ.
यदि एक अपंग महिला, इतना सब कुछ कर सकती है तो हम सब क्यों नहीं

अर्पण बाजपेयी
प्रबंधक, राजभाषा,
क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा

''इन्सान को हमेशा सत्य की राह पर चलते हुए बिना सांसारिक लाभ की चिंता किये बगैर हमेशा साहसी और ईमानदार होना चाहिए.'' - *लाला लाजपत राय*

Section 138 of N.I. Act 1881
(A Significant Tool of Recovery Management)

Banking:

As defined in Section 5(b) of Banking Regulation Act 1949, Banking is "accepting, for the purpose of lending or investment, of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by cheque, draft or otherwise". Banking system constitutes three core activities viz. Mobilization of deposits, Disbursing loans and Recovering loans with interest.

Importance of Recovery in Banking:

Being a public sector Bank with strong legacy of 111 years, we are enjoying great reputation across the country. This reputation cannot be earned overnight; it requires commitment of Staff members towards customers and shareholders of the Bank. It has become challenging for us to further strengthen this reputation in the present banking scenario. To keep enjoying the trust of Depositors, we have to lend the money accepted from them diligently in high-yielding sectors so as to offer our depositors a competitive return on their deposits with us.

As directed by our top management, we have to make our Credit Deposit Ratio to reach at the desired level of 60%, which was 57.64% for the quarter ending 30 September 2022 as against 52.29% on 30 September 2021. In the backdrop of rising CD ratio, efforts to recover the money already lent by us are required to be strengthened. This was on the front of recovery where lesser output was a major factor for the Bank suffered continuous losses for years, which compelled the regulator to keep us under PCA framework for 5 long years.

Tools of Recovery Management:

To fight the war against NPA, we have Board approved Recovery policy, which mentions various tools of recovery including non-legal and legal. Under non-legal measures of recovery we have options like NPV Approach and Special OTS Scheme 2022-23. Under legal measures we have effective tools like SARFAESI

Act 2002, Civil Suits, Summary Suits, Debt Recovery Tribunals, Insolvency and Bankruptcy Code-2016, Lok Adalats, and Complaints under Section 138 of Negotiable Instrument Act 1881.

Section 138 of Negotiable Instrument Act 1881:

Very often it has been observed that staff members dealing in recovery of bad debts are reluctant to step in legal measures of recovery due their complicated procedure and time consuming nature. The legal recovery measures involve time as well as substantial legal expenses on the part of the Bank. According to our Recovery policy, average time involved in recovery of loans through legal recovery measures like IBC, SARFAESI, and DRT are 3 years, 5 years and 7 years respectively. However these measures are result oriented and pay back after a reasonable period as law. Like other matters there are also exceptions viz. Lok Adalat and Section 138 of N.I act, which are relatively less time consuming with negligible legal expenses. Action under Section 138 of N.I Act is much more effective than Lok Adalats, since this Section deals with Civil as well as Criminal proceedings against the defaulting borrower.

Section-138 of the Negotiable Instruments Act, deals with the punishment against dishonor of cheques. A case can

''नेता वही होता है जिसका नेतृत्व संतोषप्रद और प्रभावशाली हो जो अपनों के लिए सदैव आगे रहता है और ऐसे लोग हमेशा निर्भीक और साहसी होते है.'' - *लाला लाजपत राय*

be filed to initiate Civil as well as Criminal proceedings against the drawer of cheque when a he fails to discharge his liability towards the Bank. The Civil suit can be filed to recover the amount from the drawer i.e. double the amount of cheque and the Criminal remedy can be sought for punishment i.e. imprisonment up to two years or both. However being a commercial institution we are not concerned with punishment of the borrower rather with recovery of our funds.

Procedure to initiate action under Section 138 of the N.I Act

The first and foremost criterion to initiate a legal action under this act is the Bank having possession of a valid and legitimate cheque drawn by the Borrower/Co-borrower/Guarantor in favour of our Bank. To keep this highly effective legal measure available with us, we must obtain PDCs in all eligible cases. Possibility of obtaining PDCs must be explored while making efforts for recovery in chronic SMA accounts besides all NPA accounts. While accepting the proposal under OTS schemes, PDCs should be sought, which always provide us an upper hand.

In the next step the cheque is presented by us to the drawee bank, which may be Central Bank of India or any other Bank within three months from the date of cheque issuance. If the cheque is dishonored then its original copy along with the cheque return memo stating the reason for the return like Insufficient Funds/Closed Account/Referred to the Drawer/Payment Stopped etc. should be kept safely.

In the next step a legal notice is sent to the drawer through Registered Post within thirty days of receipt of the return memo from the bank requesting the drawer to pay the amount immediately and mentioning the time limit of fifteen days from the date of receiving the legal notice to pay the amount. The legal notice should be drafted carefully and it must contain name and address of the drawer, cause of action i.e. reason for issuing the legal notice, details of the drawee bank, cheque number, date of presenting the cheque, date of return of cheque, photocopy of return memo etc. This is very crucial stage; many borrowers repay the amount at this stage anticipating the legal consequences.

The proof of serving the legal notice i.e. Postal receipt should be kept on record. If the drawer fails to pay the money within 15 days of the receipt of the said notice, a complaint with is filed with Court having local jurisdiction within 30 days of the following day on which the 15th day of notice period expires.

Documents required for filing complaint:

The following basic documents are required to be annexed to file complaint under Section 138 of N.I Act.

1. Complaint under Section 138 of N.I Act 1881 by Branch Head
2. Affidavit by Branch Head in prescribed format
3. Vakalatnama in favour of Bank's Advocate
4. Original copy of dishonored cheque
5. Cheque return memo
6. Copy of legal notice served on drawer
7. Proof of serving the notice i.e. Postal receipt
8. Loan Sanction letter/OTS offer letter/Statement of loan account/Legal documents of loan (to establish a fact that Bank accepted the cheque in good faith to recover the loan)

After the case getting admitted in Court for hearing, the honorable Court issues a notice to drawer of cheque. If the drawer does not pay a heed to Court notice, a warrant is issued by court against him. During these proceedings chances of recovery of our loan get increased.

Legal expenses:

Expenses in filing the case under section 138 of N.I Act vary with different towns/cities. In small towns it involves approximately Rs.10000/- per case including the charges of Advocate. In metro cities it may go little higher, still it is much less than expenses involved in other legal measures of recovery.

Benefits

The staff members dealing in recovery can check the files of NPA accounts of their Branches and lodge the PDC to initiate action under the said Act. Further during field visits and OTS settlements, PDC should be obtained. This tool of recovery is relatively simple in proceedings, less time consuming, less expensive, and highly effective. As per newly inserted provisions through Section 143A and 148 of N.I Act, the Court has the power to direct the drawer to provide interim compensation of 20% of amount of cheque during the pendency of criminal complaints and civil appeals. Branches can be benefitted by this simple but result oriented recovery process.

Santosh Kumar Mishra
Faculty Member/Chief Manager,
Sir SPBT College, Mumbai

मनुष्य हमेसा प्रगति की मार्ग में अपने गुणों से आगे बढ़ता है किसी दुसरे के भरोसे रहकर आगे नही बढ़ा जा सकता है. - *लाला लाजपत राय*

हमारे व्यवहार के परमाणु

प्रकृति की प्रत्येक संरचना चाहे वह जड़ हो या चेतन अपनी उपस्थिति का प्रभाव अवश्य दर्ज कराती है. जिस प्रकार हमारे ब्रह्माण्ड में उपस्थित प्रत्येक ग्रह और उपग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है उसी प्रकार हमारे जाने और अनजाने व्यवहार का प्रभाव समाज, देश और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर भी पड़ता है. हमारे व्यवहार का आधार हमारी आदतें हैं. जिस परिवेश में हम जन्म लेते हैं, पलते और बढते हैं, हमारी आदतों का जन्म होता है और हमारे लोक- व्यवहार का प्रादुर्भाव होता है. हमारे व्यवहार से ही मित्र एवं शत्रु बनते हैं. वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अधिकांश लोग निहित स्वार्थवश मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं और गिरगिट की तरह अपना व्यवहार बदलते रहते हैं. इसके विपरीत कुछ लोगों का निश्छल व्यवहार हमारे अंतर्मन को प्रभावित करता है. इस प्रकार हमारे व्यवहार के परमाणु सकारात्मक/ नकारात्मक रूप से समाज/देश-काल को अवश्य प्रभावित करते हैं.

इस सम्बंध में एक प्रेरक प्रसंग है :- एक व्यक्ति ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था. ऑटो वाला आराम से ऑटो चला रहा था. एक कार अचानक पार्किंग से निकलकर रोड़ पर आ गई. ऑटो ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार ऑटो से टकराते-टकराते बची. कार चला रहा व्यक्ति गुस्से में ऑटो वाले को भला-बुरा कहने लगा, जब कि गलती उसकी थी. ऑटो चालक एक सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति था, उसने कार वाले की बातों पर गुस्सा नहीं किया और क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गया. ऑटो में बैठे हुए व्यक्ति को कार वाले की हरकत पर गुस्सा आ रहा था और उसने ऑटो वाले से पूंछा ''तुमने उस कार वाले को बिना कुछ कहे ऐसे क्यों जाने दिया. उसने तुम्हें भला-बुरा कहा जब कि गलती तो उसकी थी, हमारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो उसकी वजह से हम अभी अस्पताल में होते''. ऑटो वाले ने कहा, ''साहब, बहुत से लोग कूड़े के ट्रक की तरह होते हैं. वे बहुत सारा कूडा अपने दिमाग में भरे हुए चलते हैं जिन चीजों की जीवन में कोई जरूरत नहीं होती है, उनको मेहनत करते जोड़ते रहते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा आदि. जब इनके दिमाग में कूड़ा बहुत अधिक हो जाता है तो वे अपना बोझ हलका करने के लिए इसे दूसरों पर फेकने का मौका ढूंढ़ने लगते हैं, इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूं और उन्हें दूर से मुस्कराकर बिदा कर देता हूं. क्यों कि अगर उन जैसे लोगों द्वारा गिराया हुआ कूड़ा मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं भी कूड़े का ट्रक बन जाऊंगा और अपने साथ-साथ आसपास के लोगों पर भी वह कूड़ा गिराता रहूंगा. मैं सोचता हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है इसलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करें, उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कराकर माफ कर दो.

हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पताल में ही नहीं रहते हैं. कुछ हमारे आसपास खुले में भी विचरण करते रहते हैं. प्रकृति के भी नियम हैं - यदि खेत में बीज न डालें तो कुदरत उसे घास-फूस से भर देती है. उसी तरह से यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं. दूसरा नियम है कि जिसके पास जो होता है वही बांटता है. ''सुखी'' सुख बांटता है, ''दुखी'' दुख बांटता है, ''ज्ञानी'' ज्ञान बांटता है, ''भ्रमित'' भ्रम बांटता है और ''भयभीत'' भय बांटता है. जो खुद डरा हुआ है वह औरों को डराता है, दबा हुआ दबाता है और चमका हुआ दूसरों को भी चमकाता है.

अत: हमें अपने दिमाग को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए. अगर अच्छी संगति न मिले तो स्वाध्याय करना चाहिए. अपने मन को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान-साधना विशेष सहायक होते हैं क्योंकि स्वस्थ मन से स्वस्थ तन बनता है और स्वस्थ मन से स्वस्थ एवं सुंदर विचार स्फुटित होते हैं. सरल-सुंदर विचारों से हमारे सुंदर संसार का सृजन होता है.

बीरपाल सिंह
प्रबंधक - राजभाषा.
क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर

भले ही आजादी हमे प्यारी हो लेकिन इसके पाने का मार्ग बहुत ही लम्बा और कष्टकारी है.

- लाला लाजपत राय

Co-Lending

The term co-lending refers to the coming together of two lending firms to disburse joint loans to the borrowers. Considered to be a major part of the co-financing structure, it is a set-up where the banking and non-banking sector join hands in an arrangement for the joint contribution of credit for priority sector lending.

This alliance authorizes firms to source clients, conduct credit appraisals & disburse a small part of the loan amount. According to this arrangement, both banks and NBFCs share risk in a ratio of 80:20; 80 percent of loan is borne by the bank and a minimum of 20 percent remains with non-banks like NBFCs, HFCs, Fintech, etc.

Although the concept of co lending agreement has existed over the years, it has led to more banks and NBFCs coming together to make funds available to the priority sector after the Reserve Bank of India (RBI) laid out the framework for co-origination of loans.

Terms of a Co-Lending Arrangement

As per the Reserve Bank of India's mandated regulations for a co-lending arrangement, there are numerous typical terms of the agreement between the two respective parties. Here is a detailed look at some of them:

80-20 split: In the case of a co-lending arrangement, loans are disbursed in an 80:20 capital deployment ratio between the two entities, i.e., the bank and the NBFC, respectively. It benefits both the bank and the NBFC. For instance, it allows most of the capital to come from banks, which have convenient access to a less expensive source. Similarly, it allows NBFCs to perform as the consumer-facing party in the arrangement. The NBFC in question takes care of the sourcing and the corresponding customer experience.

Joint underwriting: Co-lending arrangements between banks and NBFCs allow both parties to underwrite jointly, which provides for two checks. This is possible mainly because both parties are equally involved.

Risk-return split: The 80:20 split for the deployment of capital, as mentioned earlier, minimizes the risk and return quotient that is split between the banks and NBFCs.

Final interest rate charged: In most cases, banks feature a lower cost of capital. In contrast, NBFCs have a comparatively higher price. Thus, the final rate of interest provided to the customers is usually a combination-weighted average capital cost besides their respective commissions. It usually lies somewhere between the rate of interest charged to the customers individually by both entities, i.e., the NBFC and bank.

Defined roles: Whenever two entities enter into a co-lending arrangement, they are provided with an official agreement. The agreement clearly states and defines the roles and responsibilities of both the bank and the NBFC. In most cases, the NBFC is the party that overlooks sourcing, customer experience, and customer management. Besides this, it is also responsible for product innovations, quick documentation, and faster TATs. On the other hand, banks hold the responsibility of getting cheap finds and building credibility to attract and retain customers.

How Does Co-Lending Work?

The RBI had earlier laid out the co-origination framework in 2018, allowing banks and NBFCs to co-originate loans. But, in 2020, RBI Co-Lending guidelines were further amended and renamed as CLM- Co-Lending Models. It included Housing Finance Companies, and some modifications were made in its framework.

CLM aims to improve the credit flow to the unserved and underserved segments of the economy at an affordable cost. The model works on the principle that banks have lower costs of funds, and NBFCs have greater reach beyond tier-2 centers.

सरोजिनी नायडू जन्म- 13 फ़रवरी, 1879, सुप्रसिद्ध कवयित्री और भारत देश के सर्वोत्तम राष्ट्रीय नेताओं में से एक थीं. वह भारत के स्वाधीनता संग्राम में सदैव आगे रहीं. उनके संगी साथी उनसे शक्ति, साहस और ऊर्जा पाते थे. युवा शक्ति को उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी.

To simply put how Co-Lending works:

- ✓ Banks lend to NBFC, and since NBFCs have a greater reach, they pass it on to the priority sectors.
- ✓ NBFCs serve as the single point of contact for the customers, and a tripartite agreement is signed between the customers, banks, and NBFCs.

Advantages of Co-Lending

To Banks:

Greater reach: As opposed to other financial institutions, NBFCs generally have better reach and access to remotely-located areas of a country. Moreover, they also have good reachability to underserved sectors and more digital penetration. Hence, banks benefit from a more extensive pool of businesses and customers they can lend to.

Better customer experience: The primary objective of NBFCs and Fintechs is majorly customer centricity. Thus, the modern partner looks over the process of managing the customer base in any co-lending arrangement. This facilitates conversions as well as multiple repeat lending opportunities.

Skin-in-the-game: As per the regulations, NBFCs are bound to put in at least 20% of the entire capital amount, which puts the other entity (banks) at ease regarding the customers' quality it receives. As a result, banks do not have to put in excessive underwriting efforts.

Risk management: Since the risk is divided between the banks and NBFCs in co-lending arrangements, banks benefit from an extra sense of security. Moreover, they also benefit from the minimisation of losses if and when things do not work out in their favour.

To NBFCs:

Less interest rates: As mentioned earlier, banks enjoy the advantage of having access to the economy's cheapest fund sources. Thus, NBFCs enjoy the benefit of extending loans to customers at lower rates of interest as compared to other entities in the business.

Credibility: With the help of co-lending partnerships made with top-tier banks, newly-established firms and organizations who are on the lookout for entering the business can build their brand credibility in the customers' eyes.

Risk management: In most co-lending arrangements, the risk is divided equally between both entities involved. Banks employ the majority of the capital, and thus, NBFCs can minimize losses incurred on their loans in case of any bad debts.

To Consumers:

Better consumer experience: One of the primary objectives of new and advanced partners such as fintechs is to ensure that customers have a smooth and seamless experience throughout the entire process. This helps them in retaining customers for a more extended period and cross-sell their finance-related products in the near future.

Lower interest rates: Consumers are saved from the hassle of paying extremely high-interest rates to go through a seamless lending process. This is mainly because multiple banks are on board, which significantly reduces the interest rate.

Underserved customers: Co-lenders act as the perfect outlets for credit-deprived communities in rural regions. Moreover, individuals who do not have an impressive or high credit score find co-lenders a great fit since the latter provides them uninhibited access to lending products, albeit not directly, from different banks.

Knowledge dissemination: The majority of the NBFCs and fintechs strive to offer an exceptional customer experience. They provide a personal touch to customers by educating them about the co-lending contract's terms and conditions. As a result, it significantly contributes to the financial literacy of underserved customers.

Benefits of Co-Lending:

A co-lending model helps traditional banks to give out higher amounts of funds using the fintech working

'भारत कोकिला' के नाम से प्रसिद्ध हुई सरोजिनी ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में सभी अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था. बचपन से ही कुशाग्र-बुद्धि होने के कारण उन्होंने 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ़ दी लेक नामक कविता रची. गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था. उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवयित्री बना दिया.

model for a greater digital reach. While banks have the funds, NBFCs have the reach. A co-lending model thus proves to be symbiotic for both. This model is effective as it uses robust technology to simplify the operational challenges faced by traditional lending models. There are several benefits of a co-lending model, such as:

Improvement in quality and turnaround time: The digitization of financial institutions has led to improved quality of services. Robust technology has improved turnaround time for all the processes, from application to disbursal and delivering the services in real-time.

Lower Interest Rates: Through the co-lending model, a variety of products can be served at lower interest rates to the priority customers. Thanks to the digital lenders, the cost of acquiring customers has reduced substantially, which, coupled with the low cost of capital banks bring, reduces the overall cost. The cost-advantage can be passed on to the borrowers.

Automated & Paperless Processes: The entire process is automated, facilitating the borrowers to access funds from the comfort of their homes – right from application to disbursal. Further, new-age lenders have adopted e-KYC, and Video KYC has simplified the process even more.

Quick Loan Disbursal: Today, loans are available on easy-to-use, customer-friendly smartphone apps with just a click. It benefits the consumers, as the best of both worlds, digital channels, and physical branches are available under a co-lending model.

Large Customer base: Fin-Techs utilize digital platforms to enhance their reach to potential customers, which helps cater to the needs of borrowers across geographical boundaries. Further, a co-lending model also helps fuel the economically weaker strata with the funds they require.

Performance of Central Bank of India under Co-Lending:

As on 31.12.2023, our bank has tie up with 11 NBFCs for CLM loans under MSME, Agriculture & Retail segments. Since beginning our bank has remained on Top Position across banking industry under CLM. Total portfolio under CLM as on 31.012.2023 is Rs.4761.95 cr. with total sanctions of Rs.5358.55 cr.

Hitesh B. Thopate
Chief Manager
Emerging Business, Central Office

श्री बिरेंद्र मेहता, क्षेत्रीय प्रमुख पणजी, की पुत्री शैलजा मेहता ने मार्च 2022 में सीबीएसई बोर्ड की 10 वीं की परीक्षा 95 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की है. सेंट्रलाइट परिवार उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है.

''यदि आदमी देश की शान है तो, और औरत उस देश की नीव है. ''एक देश की महानता, बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित करता है''. ''आत्म सम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है.''

- सरोजिनी नायडू

THE NPA BLACK HOLE

BANK CREDIT provides Momentum to a country's Economy boosting Economic Activities thereby helping the Economy Prosper. Non Performing Assets (NPA) is an anathema to Banks which stings the Bank with its fangs, eating away on the profits in multiple ways, ultimately shaking the very foundation of the Bank.

a. NPA is a dead Asset, generating '0' Income

b. NPA impacts recycling of funds

c. Provisioning on NPAs erodes Bank Net Profit

d. Higher Risk Weight on NPA increases Capital Requirement, thereby depriving Bank of Capital to use for new Credit

Huge economies can be shaken because of the failure of Banks and its contagion effect on the economy. Lessons learnt from big failures across the globe such as the Asian Financial Crisis, Sub Prime Crisis shaped the BASEL framework sculpted by the BCBS – Basel Committee for Banking Supervision, and Central Banks of Countries worldwide have subscribed to these Standards towards bolstering the Banking System in the country.

Our Regulator, the RBI has mandated every Bank to have a Board approved Policy for Credit, Credit Monitoring and Recovery. Revised Benchmarks are fixed for Banks regarding Capital Requirement vis-à-vis Asset Quality, Net NPA and Leverage Ratio under the Prompt Corrective Action framework to enable Supervisory intervention at appropriate time and require the Supervised Entity to initiate and implement remedial measures in a timely manner, so as to restore its financial health and also to inculcate Financial Discipline in the entities.

India's NPA Ratio is one of the highest among comparable countries barring Russia. However, with the introduction of Asset Quality Review in 2015-16 and the plethora of regulations put in place, our country is fast galloping towards CLEANER BANK BALANCE SHEETS and a STRONGER ECONOMY.

Gross non-performing assets (NPAs) of the banking sector dropped below 6 per cent as of March 2022 — the lowest since 2016 — and net NPAs fell to 1.7 per cent during the same period, indicating that the sector has remained largely insulated from the ill-effects of the Covid-19 pandemic. However, Shri M Rajeshwar Rao, Deputy Governor of the RBI has cautioned the Banks to assess if the improvement in the asset quality is broad based or only because of regulatory forbearance.

As per Care Edge Report based on Dec. 2021 data, the Sectorial GNPA Ratio (as a ratio of Gross NPA to exposure to that sector) is as under:

Agriculture 9.4%

Industry 8.4%

Services 5.8%

Home Loan 1.8%

Restructured Loans 1.6%

Our Bank was fettered by the shackles of PCA framework for over 5 years since June 2017 because of NPA malady, and it is history that after great struggle we have freed our Bank from the shackles. However, to sustain this status and bring back the lost glory of the

रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे. इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया. उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं अत: ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया.

80s, we need to not lose focus on Recovery of Bad loans, and Credit Monitoring to arrest fresh slippages. The task is herculean, but persistent and focussed efforts can simplify this marathon task.

As per data the top 5 Banks with consistently high NPAs are:

1. IDBI Bank
2. Indian Overseas Bank
3. Central Bank of India
4. UCO Bank
5. Punjab National Bank

As per RBI report dated 01.07.2021 on Soundness and Resilience of Financial Institutions, the comparative NPA position of PSBs (Public Sector Banks), PVBs (Private Banks) and FBs (Foreign Banks) is given in the table below:

GNPA Ratio		
	September 2020	**March 2021**
PSBs	9.7	9.5
PVBs	4.6	4.8
FBs	2.5	2.4

A study set to identify the reasons why there are more NPAs in PSBs than PVBs suggests that PSBs have adopted liberal and loose credit policies, and have concentrated loans on borrowers and sectors, i.e., huge credit exposures to a few large corporate borrowers and to a few sectors. It also finds that PSBs are subject to weak and mild regulatory and supervisory impacts on their operations and functions as these are owned by the Government of India. The managements of PSBs are indifferent to the success and performance of PSBs as there are no incentives or penalties for their performance and non-performance.

While the results and suggestions of this study need further debate and research, it is high time for us to ponder why NPA proportion in PSBs is almost double that of the PVBs, while both have level playing fields.

CAUSATIVE FACTORS OF NPA:

The main reasons for an asset turning into an NPA is Diversion of Funds, Siphoning of Funds or Failure of the Business due to Borrower's incapability to run the business profitably, Market conditions, Policy changes, Natural calamities or any other external reasons.

And, the main causes for NPA are Irrational lending, Deficiencies in Evaluation of Credit & Credit Monitoring.

GOVERNMENT INITIATIVES TO MITIGATE NPAs AND THEIR IMPACT ON BANKS:

To address the NPA menace Government of India and the Regulator RBI have been progressively adding arrows in the Quiver of the Bankers. The SICA (Sick Industrial Company Act, 1985), the RDDBFI Act (Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1983 for establishment of Debts Recovery Tribunals (DRTs) with original jurisdiction and Debts Recovery Appellate Tribunals (DRATs) with appellate jurisdiction, for expeditious adjudication and recovery of debts due to banks and financial institutions), SARFAESI Act, 2002 (to empower the Secured Creditor to enforce the Charged Securities without Court Intervention), Insolvency & Bankruptcy Code 2016 (to provide Creditors to salvage a Company if its business is viable, or close down the business if it is unviable and recover the dues) portray the consciously evolving legal structure in the country to equip the Bankers and FIs to protect the Investors' funds. However the results have not been very promising.

LEGAL TOOLS OF RECOVERY:

Through the SARFAESI route, banks recovered 41% of the amount involved, while the extent of recovery stood at just 20.2% via the IBC. The other modes of recovery, Lok Adalats and debt recovery tribunals (DRTs), yielded even less – 4% and 3.6% respectively – during FY21. Overall, banks were able to recover only 14% of their dues through the four modes (RBI report on Trend and Progress of Banking in India)

Out of 5258 cases admitted under IBC-NCLT between 2016 and 2022, only 480 cases have been approved for Resolution and 1609 cases have been ordered for

स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे. साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं. वे ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न-भिन्न साधन मात्र हैं.

liquidation process. Presently 1861 cases are pending, as per Financial Stability Report, June 2022, RBI.

Despite the fact that the Act was passed with the primary objective of speeding up recovery process, statistics shows that the average time taken for resolution & liquidation is 528 days and 412 days respectively, on an average. Further, Banks suffer huge haircuts, up to about 60% in case of liquidation.

Though Sale of Assets to Asset Recovery Companies is another avenue to exit a bad loan, the Recovery percentage in this case too is abysmal.

NON LEGAL TOOLS OF RECOVERY:

Notwithstanding the various legal tools of recovery, settlement of loans through Compromise Settlement is faster and better in terms of percentage of recovery, and therefore the most preferred tool of Recovery of the Bankers. Banks have a board approved Recovery Policy in place as per the mandate of RBI, which enshrines the policy regulations regarding the Compromise settlements in NPA accounts, besides other guidelines on Recovery Management.

There are forums such as Lok Adalat where compromise deals can be struck.

RECOVERY AS A SCIENCE AND ART:

Recovery of bad loans requires both Cognitive skills and Creative skills. These skills combined with persistent efforts will bring sure success to the Banker. From the success stories in Recovery Management, it can be deduced that the following are the essential qualities which qualify a resourceful and versatile Recovery Officer:

a. Diligence

b. Cognitive skills

c. Negotiating skills

d. Persistence

DILIGENCE:

The Recovery Officer should be assiduous in his efforts for Recovery. He/she must do the home work diligently and prepare the ground meticulously. All available resources should be exploited to get every minute detail about the Borrower/s and Guarantor/s. Data/ Information is wealth and precision in information such as present status of Unit, latest position of Assets & Liabilities of Borrower/Guarantor, other ancillary income, status and marketability of Secured assets, legal position of Bank, will armour the Banker as he enters the negotiating field.

It takes detailed analysis of the borrower, his personality, his priorities, his social status and analytical skills to employ appropriate methods of recovery. This data will empower him to decide on the appropriate course of action in recovery (the choice of recovery tool), as also to decide on the appropriate amount of sacrifice to be taken in the a/c in case of a Compromise.

COGNITIVE SKILLS:

Cognitive skills include critical awareness and understanding of the environment and the situation, and the ability to adapt/handle the situation to his best advantage. In the arena of Recovery it is imperative for the Recovery Officer to assess and judge the Borrower/ Guarantor to employ the most suitable tactics of Recovery.

Chanakya (Kautilya) exalts the 4 Upayas (strategies) available to a person to achieve his objective, and, the same can be effectively applied in Recovery Management for choosing a tool aptly:

Sama: Soft advice & persuasion – Recovery notice, phone calls, recall advice

Dhaan: Offer rewards – Compromise settlement, Exit from the debt trap

Bhed: Sensitising about the ill effects of non-compliance – Credit Scores, Possibility of Legal recourse, Loss of Reputation

Dand: Punishment – Legal, Quasi legal action

NEGOTIATING SKILLS:

This skill helps two or more parties to arrive at a common win-win solution. The following are the essential skills required to be an ace Negotiator:

''ईश्वर सब जगह है परन्तु वह मनुष्य में सबसे अधिक प्रकट होता है, इसलिए मनुष्य की भगवान की तरह सेवा करो, जोकि भगवान की पूजा करने जितना ही अच्छा है.''

''ईश्वर के कई नाम और रूप हैं आप किसी भी रूप में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें किस नाम पुकारते हैं और पूजा करते हैं. बल्कि महत्वपूर्ण यह की आप अपने अंदर ईश्वर को कितना महसूस करते हैं.'' - *रामकृष्ण परमहंस*

a. Communication skills – clarity in thought and speech, listening skills

b. Planning and preparation of the ground

c. Emotional Intelligence – being present in the process to create an amicable environment for successful resolution, maximising recovery

d. Creative Problem solving abilities – using appropriate points in discussion

Whatever is the recovery tool we choose, to reach the goal, negotiating skills are essential for a Recovery Officer.

PERSISTENCE:

Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. There is a saying in Tamil which says "A crop that is unattended perishes. A debt that is unasked for is never returned". Recovery therefore is directly proportional to the size of our efforts and persistence.

SUCCESS STORIES:

I would like to share some success stories here where our team had applied the above techniques during our recovery ventures.

1. When I took charge of this branch, I was appalled at the huge NPAs piled up in the branch, almost 40%. Almost all the NPA borrowers were not traceable. I took it on me to nail these defaulters, come what may. There was this Auto Rickshaw loan under Cent Sahayog scheme. All roads to reach him seemed closed, and frustration was setting in, as I had used every scrap of detail from the loan file. But, failure is not our option. I made 5/6 copies of his photograph and set out to check all auto stands in the 20 km radius. After many unsuccessful attempts, we finally found his house, and all our efforts paid off when we saw the shock on his face as we entered his house. There are more stories of this type, where we tracked borrowers, sometimes by using data from latest CIBIL report, sometimes taking a lead from their previous Bankers, sometimes roaming on the roads with photograph in hand, enquiring with dhobis on the road, grocers, etc., etc.

2. This is a case in a rural branch which speaks of our success in striking deals with hard core borrowers. One such borrower with Ledger outstanding of about Rs.25 lakhs was a hard nut to crack. He was arrogant and unwilling to yield to our requests to repay, although he was seemingly one of the richest in the village, living in an imposing house.

   This was the time when there were hidden NPAs, i.e. potential NPAs but not classified as NPAs in CBS. Action under SARFAESI Act could not be taken as books showed a/c as Standard, despite NIL repayment for years.

   On a Bank holiday, I had taken with me 2 other staff of the branch and the Panel Valuer to his house. It was morning time and we stood outside the house and the valuer started measuring the compound wall and then the building, after fully ensuring that we had a sizeable number of onlookers on the street. We repeated this exercise for 3, 4 borrowers.

   Next morning as I was walking to the Bus stand to board the bus to my branch about 15 kms away from my residence, I heard the whir of a vehicle crashing to a halt just grazing me, and as I stopped in shock, I heard a familiar voice. It was this borrower who always accosted me, standing there and telling me in a meek voice "Madam, I am just returning from the Mandi after selling my paddy. I will be remitting Rs.3.50 lakhs in my loan account, and I request you not to sell my house".

   It was a moment of celebration for our entire team.

3. This was a poultry loan and the borrower an Ex-Councilor of the Village. He was a willful defaulter. One evening after banking hours, our team set out for recovery of the 3 poultry loan NPAs along with our Jewel appraiser. We carried some old locks and locked up the 3 farms and sealed them.

   One farm had no chicks and the borrower did not turn up. The other borrower was rushing to the Bank to pledge her jewel and adjust the loan, she was intercepted by this Ex-Councilor who derided her, dissuading her from going to the bank saying "arey sister, I am having much higher outstanding

चैतन्य महाप्रभु (18 फरवरी, 1483-1534) वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में से एक थे. इन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की एक नयी शैली को जन्म दिया तथा राजनैतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू-मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया, जाति-पांत, ऊंच-नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी तथा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया और अपने जीवन का अंतिम भाग वहीं व्यतीत किया.

of loans and I am unperturbed, why do you worry. I will take care".

When I came to know of this incident, I took our team once again to her farm and advised her saying "the Ex-Councilor can bear the loss of chicks, but you cannot. Your chicks will soon die if the farm is kept locked. Please do not be swayed by his wrong advice".

She then adjusted part of the loan and got the locks removed.

We did not stop at this. I then called the Ex-Councilor and said "oh Sir, you are a very respectable person, and you have big following here. If you do not repay the loan dues when that poor farmer has already done so, your reputation could get tainted. Also by your good act, you can influence lot of people and do well for the society". At this, he changed his stance and immediately made part payment in his loan account.

GOOD PRACTICES IN RECOVERY MANAGEMENT:

- Branch Head should build a strong networking in his branch with Customers, Government Officials, and Administrators in his area. Many times, the Post Man in my Ward used to give me leads as to the where about of my defaulting borrowers, the happenings in the village, etc. You cannot undervalue the strength of networking.
- Branch Head should open a Recovery Ledger, a diary, where some folios are allotted to each of the NPA accounts of the branch. All available details should be entered, and BH should journalize here on a day to day basis all follow up action with great precision, even a phone call with date and time, even though it went unattended, details of changed address or status, all data collected about the borrower/guarantor. This journal will be a legacy the BH/Recovery Officer leaves to the next Recovery Officer, who can pick up from where the predecessor left, saving on the time and energy involved in this exercise.

  Further, by journalizing all conversations with the Borrower or his family, the BH/Recovery Officer has potential information which he can use to indicate to the Borrower that Recovery is a serious business for the Bank.
- Recovery Officer/BH should take up recovery as a passion, as a mission, as Recovery Management is not a quarter end exercise, but a persistent effort, to be done as a daily drill.
- Branch Head has to allocate NPA accounts for regular follow up and recovery to all the staff of the branch and make the most use of the different skills of different staff, as it takes different strokes for different Borrowers.
- Immediately on taking charge of the Branch, Branch Head has to check loan documents of all Standard assets to see if the documents are live, i.e. within limitation period. If not, documents should be renewed immediately. Secondly, BH should check the loan documents of all NPA accounts. No legal action or action under SARFAESI Act can be taken if documents are time barred. So it is imperative that the BH initiates legal action immediately on a/c turning NPA, irrespective of whether he/she is attempting to settle the a/c through non legal tools. Further whenever borrower deposits any amount into the NPA a/c it would be a good practice to get the credit challan (pay in slip) signed by the Borrower as this is construed as an 'Acknowledgement of Debt' under law, and thereby get extension of the limitation period.
- BH has to maintain a separate diary for suits filed with Court, DRT, a/cs referred under IBC-NCLT. Notwithstanding the fact that the Law Officer of RO will follow up with the Advocates on the suits filed, the BH should keep track of the proceedings religiously, and also ensure that Branch has a copy of all documents handed over to the Advocate. Further, BH has to follow up for final recovery of loan dues after receiving the DRCs (Debt Recovery Certificate) after decree from DRT through sale of assets, with the help of Law Officer.
- In case of accounts where action under SARFAESI Act is being initiated, it is advisable to maintain a separate file for each such account other than the original loan file and keep track of the time

चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी जगत तक में है. यह भी कहा जाता है, कि यदि गौरांग ना होते तो वृंदावन आज तक एक मिथक ही होता. वैष्णव लोग तो इन्हें श्रीकृष्ण का राधा रानी के संयोग का अवतार मानते हैं.

schedules fixed under the act under various stages.

- Even in cases where the loan documents have become time barred, branch can initiate recovery action against the Guarantor as the limitation period of Guarantee begins only on the date of recall of the loan.
- In all NPA accounts, if securities are available, it is required to keep the insurance cover live till the loan account is closed to prevent any loss to the Bank by way of loss/damage of such charged securities.
- Ultimately, "Prevention is better than Cure" is a dictum that needs to be adhered to in matters of Credit as well. Upholding the Quality of Credit at the Selection and Assessment stage, Robust Credit Monitoring, Assessing the Distance to Default D2D (time lag when the account is expected to slip), Dynamically capturing the changes in risk factors of the Asset are essential strategies to arrest slippages and maintaining the Asset Quality.
- Bank should have a platform to share the best practices of Branch Heads, Recovery Officers, Employees in Recovery Management, so that Bank can derive maximum benefits, as Bank will then have the advantage of a cumulative experience of lakhs of hours in Recovery Management.

Thulasi
Chief Manager
Corporate Credit, Central Office

काव्यकुंज

मैं एक औरत हूँ

मैं एक औरत हूँ,
जननी हूं सम्पूर्ण जगत की, गौरव हूं अपनी संस्कृति की
मैं ब्रह्मांड की धरोहर हूं, सम्पूर्ण विश्व का भविष्य हूं.
अपमानित मत करना मुझे, मेरे बल पर जग चलता है,
तभी तो पुरुष जन्म से लेकर मेरे ही गोद में पलता है.
मैं हूँ निश्चल त्याग का शिखर,

हर घर की देवी, हर घर की लक्ष्मी,
हर आंगन की तुलसी हूँ,
मैं सीता की शक्ति, मंदोदरी का धैर्य हूँ,
मैं सत्यवती सावित्री, अनुसुइया की आन हूँ,
मैं नारी हूँ, फुलवारी हूँ, तेरे घर की शान हूँ.

मैं दर्द सहती हूँ, मैं हर जख्म भरती हूँ,
गमों से भरपूर हूँ फिर भी खुशियों की नूर हूँ,
कम नहीं हैं हम किसी से साबित कर दिखलायेंगे,
खोल दो बंधन हमारे हर मंजिल पा जायेंगे.

एल.बी. झा
क्षेत्रीय प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर

''भगवान के नाम का जाप करते हुए व्यक्ति को दैवी संपत्ति अर्जित करनी चाहिए. अर्जित की जाने वाली दिव्य संपत्ति हैं दया, अहिंसा, वासना से मुक्ति, सत्य, समानता, समभाव, वैराग्य, मन की स्थिरता, इंद्रियों पर नियंत्रण, गंभीरता, करुणा, मित्रता, प्रतिभा और सहनशीलता.''

- चैतन्य महाप्रभु

साइबर अपराध - एक गंभीर चुनौती

परिभाषा:

साइबर अपराध को स्वचालित प्रसंस्करण और डेटा के संचरण कम्प्युटर सिस्टम और नेटवर्क का उपयोग करने वाले लोगों के गैर-कानूनी, अनैतिक या अनधिकृत व्यवहार के रूप में माना जाता है. कम्प्युटर / तकनीक का उपयोग किसी अपराध के लिए किया जा सकता है. जैसे चोरी, मनी लॉंड्रिंग या धोखाधड़ी, अवैध जुआ, हथियार, ड्रग्स या नकली सामान, अवैध वस्तुओं की बिक्री. साथ ही, अश्लीलता की मांग, उत्पादन, कब्जा या वितरण शामिल है.

साइबर अपराध किसी व्यक्ति या वित्तीय संस्थान, स्वास्थ्य या राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा दे सकता है. इस प्रकार के अपराधों में विशेषकर हैकिंग, कॉपीराइट उल्लघंन, अनसुनी जन-निगरानी और बाल प्रोनॉग्राफी शामिल है. साइबर अपराध को कई तरह की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. उदाहरण के लिये टेली मार्केटिंग और इंटरनेट धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, धार्मिक नफरत फैलाना एवं क्रेडिट कार्ड या बैंक खाता चोरी इत्यादि साइबर अपराध माने जाते है.

साइबर अपराध के प्रकार :

- **स्पैम ई-मेल :** अनेक प्रकार ई-मेल में हैकर्स द्वारा वायरस युक्त भेजा गया मेल जिससे कम्प्यूटर का डाटा स्थानांतरित हो सकता है.
- **फिशिंग :** किसी के पास स्पैम ई-मेल भेजना ताकि व्यक्ति / संस्थान अपनी निजी जानकारी दे और इस जानकारी से उसका नुकसान हो सकें, इस तरह के मेल आकर्षक होते है.
- **सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना :** बहुत से लोग सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म जैसे Whatsapp, Facebook, Telegram आदि पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक, राजनैतिक अफवाह फैलाने का कार्य करते है. लेकिन उपयोगकर्ता उनके इरादे समझ नहीं पाते है और जाने अनजाने में ऐसे URL (Links) को शेयर करते रहते है, जो कि साइबर अपराध के अंतर्गत आता है.
- **साइबर बुलिंग :** फेसबुक एवं अन्य साइट पर अशोभनीय कमेंट करना. इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी अन्य को शर्मिंदा करना. इसे साइबर बुलिंग कहते है, अक्सर बच्चे इसका शिकार होते हैं.
- **फर्जी बैंक कॉल :** फेक ई-मेल, मेसेज या फोन कॉल प्राप्त हो जो आपकी बैंक से संबंधित होने का दावा करें एवं आपके खाते से संबंधित गुप्त जानकारी जैसे ATM No. एवं PIN अथवा अन्य ओटीपी एवं पासवर्ड मांगी जाये, और यदि जानकारी नहीं दी गई तो आपका खाता बंद कर दिया जायेगा अन्यथा इस लिंक पर सूचना दें. यह एक साइबर अपराध है. अपराध करने वाला इस तरह का अपराधी इनसे प्राप्त जानकारियों का इस्तेमाल कर लोगों को वित्तीय नुकसान पहुंचाता है.
- **वायरस फैलाना:** साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कम्प्युटर पर स्थानांतरित करते है, जिसमें Trozen हो सकते है, इनमे वर्म, टॉर्जन होर्स, लॉजिक हॉर्स आदि खतरनाक वायरस शामिल हो सकते हैं, जो किसी भी कम्प्युटर और नेटवर्किंग सिस्टम को काफी हानि पहुंचा सकते है.
- **सॉफ्टवेयर पाइरेसी :** किसी सॉफ्टवेयर की नकल तैयार करके सस्ते दामों/भाव में बेचना भी साइबर अपराध है, इससे सॉफ्टवेयर कम्पनियों को भारी नुकसान वहन करना पड़ता है. साथ ही साथ आपके कीमती उपकरण भी ठीक से कार्य नहीं कर पाते है.
- **स्पिम :** यदि स्पैम अनचाहे ई-मेल है तो स्पिम अंतरजाल के बातों के दौरान अनचाही बाते है, जो कि साइबर अपराध के अंतर्गत आता है.

संदर्भ :

एसौचेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 से 2014 तक पंजीकृत साइबर अपराधिक मामलों में लगभग 350% की वृद्धि हुई है, जो कि बढ़ते क्रम में जारी है. विमुद्रीकरण और कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में

मोरारजी देसाई (29 फ़रवरी 1896 - 10 अप्रैल 1995) भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे. वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे. वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था.

साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हैं. डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी. अत: भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा.

साइबर सुरक्षा के बारे में गहन जानकारी और ज्यादा परिष्कृत तकनीक से लैस साइबर अपराधियों के कारण भारत बड़े पैमाने पर साइबर अपराध के खतरे का सामना कर रहा है. इससे सवाल उठता है कि आपके सभी बैंकिंग खाते, एटीएम/डेबिट-क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग खाते वास्तव में कितने सुरक्षित है.

ग्लोबल स्तर पर अध्ययन करने वाली रिसर्च फर्मों के ताजा सर्वे से मालूम चलता है कि वित्तीय सेवा क्षेत्र में साइबर अपराध का खतरा सबसे अधिक है. इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र साइबर अपराधों की नजर में है, इसमें मुख्य साइबर अपराध यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है.

साइबर अपराधों से बचने / निपटने की दिशा में भारत के प्रयास :

- **'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000'** भारत में पारित किया गया जिसके प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दण्ड सहिंता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साईबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है. इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्रकैद तथा दण्ड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है.
- **'सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013'** जारी की गई जिसके तहत सरकार ने अतिसंवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति-संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र का गठन किया गया है.
- **सरकार द्वारा 'कम्प्यूटर रिस्पांस टीम'** की स्थापना की गई जो कम्प्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों का उत्तरदायित्व सीमित करने के लिए ग्राहक संरक्षण परिपत्र का प्रारूप जारी किया है.
- आर बी आई (RBI) ग्राहक संरक्षण परिपत्र :

  अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन संबंधी शिकायतों में हाल ही में तेजी आई है. ऐसी परिस्थितियों में ग्राहक के उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए मापदण्डों की समीक्षा करते हुए आरबीआई ने यह कदम उठाया है.

  परिपत्र प्रारूप में कहा गया है कि जहां ग्राहक की स्वयं की सहभागिता स्थापित होगी, वहां ग्राहक स्वयं उत्तरदायी होगा, जबकि निम्न के लिए ग्राहक उत्तरदायी नहीं होगा:-

  - जहां धोखाधड़ी / लापरवाही बैंक की ओर से हुई हो.
  - जहां ग्राहक की खुद की संलिप्तता नहीं है और उसने पते पर 7 कार्य दिवस के भीतर उसकी सूचना बैंक को दे दी है, तो ग्राहक का उत्तरदायित्व अधिकतम रु.5000/- तक सीमित हो जायेगा.
  - यदि ग्राहक 7 कार्य दिवस के बाद रिपोर्ट करता है तो ग्राहक का उत्तरदायित्व बैंक की बोर्ड की अनुमोदित नीति के आधार पर निर्धारित किया जायेगा.

निष्कर्ष :

एक बात तो तय है कि दुनिया का कोई भी कम्प्यूटर नेटवर्क फूलप्रुफ नहीं है, ऐसे में साइबर हमलों के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान का ध्यान रखते हुए हमें एक फूलप्रूफ नीति भी बनानी होगी, जिससे की होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकें.

डिजिटल होती दुनिया में साइबर अपराध एक गंभीर समस्या है. हैकर्स द्वारा प्राय: उन्हीं कम्प्यूटर नेटवर्कस् में सैंध लगाई जाती है, जिनका सुरक्षा नेटवर्क काफी हद तक कमजोर होता है. अत: तकनीक को उन्नत करते हुए तकनीकी रूप से सुदृढ़ नेटवर्क का निर्माण करना हमारी प्राथमिकता अवश्य होनी चाहिए. लेकिन उन्नत होती तकनीक से हैकर भी स्वयं को उन्नत करते जा रहे हैं और साइबर अपराध की गंभीर समस्या-समस्या ही बनी रहती है. ऐसे में साइबर सुरक्षा का आर्थिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है, जितना की इसका तकनीकी पक्ष.

नितेश सोनी
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर

''किसी भी समय जीवन कठिन हो सकता है. किसी भी समय जीवन आसान हो सकता है. यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी को अपने जीवन को कैसे समायोजित कर सकता है.'' ''चीजों को अपने लिए किया जाना चाहिए. मैं स्वीकार करता हूं कि मैं वास्तविकता को कभी नहीं समझूंगा, इसलिए मैं कार्रवाई, धर्म [कर्तव्य] और प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करता हूं.'' - *मोरारजी देसाई*

महिला सशक्तिकरण

विविध संस्कृतियों से भरा हुआ देश भारत अपनी संस्कृति और विरासत के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है. लेकिन भारतीय समाज हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है. यही कारण है कि महिलाएं शिक्षा और समानता जैसी बुनियादी मानवीय अधिकारों से लगातार वंचित रहीं हैं. लैंगिक समानता की धारणा महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की मांग करती है. लेकिन महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखा गया. विश्व भर में महिलाओं की आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक समानता, जागरूकता और महिलाओं के योगदान एवं उपलब्धियों को उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. भारत जैसे देश के विकास के लिए यहां की महिलाओं का सशक्तिकरण अति आवश्यक है.

महिला सशक्तिकरण का अर्थ:

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य ऐसी विचारधारा से है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, उन्हें आत्मनिर्णयन अर्थात अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार प्रदान करती है और समाज में पुरुष के समान ही महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का समर्थन करती है. महिला सशक्तिकरण शारीरिक या मानसिक, आध्यात्मिक या भौतिक सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास लाकर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है.

महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक?

भारत की लगभग 50% आबादी महिलाओं की है पर पुरुषों का योगदान चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र या फिर राजनीतिक क्षेत्र हर क्षेत्र में पुरुषों का योगदान ज्यादा है और महिलाओं की भागीदारी कम है. महिलाओं की भागीदारी इसलिए कम नहीं है क्योंकि उनमें योग्यता नहीं बल्कि इसलिए कम है क्योंकि उन्हें कई प्रकार से रोकने की कोशिश की गई.

- महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की मूल भावनाओं के विपरीत है यदि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है.
- समावेशी विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना असंभव है.
- महिला सशक्तिकरण लैंगिक समता लाने के लिए भी जरूरी है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यदि भारत में महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं और श्रमबल में उनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत की विकास दर 27% तक बढ़ सकती है.

भारत में महिला सशक्तिकरण:

जनवरी 2020 में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट 'वूमेन बिजनेस एंड लॉ 2020' के अनुसार आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में विश्व के 190 देशों में भारत का स्थान 170 वां है. चिंतनीय स्थिति यह है कि भारत रवांडा और लिफोटो जैसे देशों से भी पीछे है. यह काफी दुर्भाग्य की बात है. इसके बावजूद भी सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं एवं ज्यादातर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की अधिक चिंता है.

2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड वूमेन 2019- 20' में कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि होने के बावजूद भारत में महिलाओं के श्रमबल में निरंतर गिरावट आ रही है. हाल ही में प्रधानमंत्री की 'आर्थिक सलाहकार परिषद' की पहली बैठक में 10 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. महिलाओं का श्रम जनसंख्या में योगदान तेजी से कम हुआ है यह लगातार एक चिंता का विषय है लेकिन फिर भी महिला रोजगार को अलग श्रेणी में नहीं रखा गया है. नेशनल सैंपल सर्वे (68 वां राउंड) के अनुसार 2011-2012 में महिला सहभागिता दर 25.1% था जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 24.8% और शहरी क्षेत्र में मात्र 14.7% था. जब रोजगार की ही कमी है तो महिलाओं और पुरुषों के समान कार्य अवसरों की उम्मीद कैसे की जा सकती है. एक पुरुष महिला से ज्यादा समय तक काम कर सकता है उसे मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं होती और उसका कहीं भी यात्रा करना आसान है.

''यदि दान और परोपकार किसी गुप्त उद्देश्य से जुड़ा नहीं है, तो वे लाभकारी हैं. लेकिन दान और धर्मांतरण साथ-साथ नहीं चल सकते. धर्म तभी फलता-फूलता है जब बिना किसी उद्देश्य के दान और परोपकार किया जाता है.''

- मोरारजी देसाई

महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियां:

हमारे समाज में आज भी एक पुरुष तय करता है कि महिला किस से बात करेगी, कितनी देर बात करेगी, कैसी बात करेगी. आज भी कुछ महिलाओं को इतनी भी आजादी नहीं कि वह अपनी मर्जी से बात कर सके. उन्हें सामान्य बात करने के लिए भी यह देखना पड़ता है कि आस-पास में कौन से लोग खड़े हैं जबकि पुरुष हमेशा स्वतंत्र रहता है. रूढ़ीवादी परंपराएं जिन्हें धर्म के आधार पर उचित करार देने का प्रयास किया जाता है

राजनैतिक असंवेदनशीलता - राजनीतिक सशक्तिकरण के सूचकांकों में भी भारत के विकास के अनुरूप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ. आज भी संसद में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व चिंतनीय है. लोकसभा में कुल सांसदों का केवल 14.4 फ़ीसदी एवं राज्यसभा में 10.4 फ़ीसदी हिस्सेदारी महिला वर्ग से है. हमारा भारत सांसद के प्रतिनिधित्व के मामले में 189 देशों के बीच 142 वें पायदान पर है. इसके अलावा कुछ अन्य चुनौतियां भी है जैसे शिक्षा का अभाव, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण, महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षित परिवेश न होना इत्यादि.

भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास:

समान वेतन का अधिकार:

समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता चाहे बात वेतन की हो या मजदूरी की.

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार:

भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह महिलाओं को उनके मूल अधिकार जो कि जीने का अधिकार है का अनुभव करने दे. गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है.

गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार:

किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए.

संपत्ति पर अधिकार:

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियम के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर का अधिकार है.

कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून:

यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है. केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी.

और ऐसे कई सारे कानून लाए गए हैं जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिले और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़े.

सुझाव:

प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना: केवल शिक्षा ही है जो विचारों में परिवर्तन ला सकती है. इससे ना केवल आपकी या आपके परिवार की बल्कि पूरे समाज की सोच बदली जा सकती है और नारी को सशक्त होने में मदद कर सकती है. इसके अलावा

- वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना.
- महिलाओं से संबंधित अपराधों का त्वरित निपटान करना.
- कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित करना.
- लैंगिक क्षमता विरोधी गतिविधियों पर अंकुश.
- महिलाओं को संसद और विधानमंडल में एक तिहाई आरक्षण देने वाले लंबित विधेयक को शीघ्र पास करना.
- महिला सशक्तिकरण की दिशा मे ग्रामीण स्तर पर अधिक ठोस प्रयास किए जाने चाहिए.

अक्षय कुमार
सहायक प्रबंधक (मानव संपदा प्रबंधन)
केन्द्रीय कार्यालय

मैंगते चंगनेइजैंग मैरी कॉम : (जन्म: 1 मार्च 1983) जिन्हें मैरी कॉम के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने अपनी महान उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया.

नारी शक्ति

महिला सशक्तिकरण पुरुषों और समाज के विकास का अनिवार्य हिस्सा है। वह उस समाज की ताकत होती है, जो महिलाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने की स्वतंत्रता देती है। एक समय था जब महिलाएं समाज में बेहद पीछे थीं और उन्हें समाज से दूर रखा जाता था। लेकिन आज के दौर में महिलाएं समाज में सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं और सफलता के मुकाम पर अग्रसर हो रही हैं।

भारत का इतिहास भी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करता है। विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करता था। इस साम्राज्य के समय में, महिलाओं को उनके अधिकारों का सम्मान दिया जाता था और उन्हें समाज के हर क्षेत्र में शामिल किया जाता था। इसी उद्देश्य से रुद्रम्मा देवी को राजा के रूप में चुना गया था। वह एक बहुत ही बलवान और साहसिक महिला थी, जो अपने सम्राट के साथ एक शक्तिशाली समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती थी।

भारतीय इतिहास में महिलाओं को अधिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली अनेक महान महिलाओं के नामों में से एक सरोजिनी नायडू का नाम आता है। सरोजिनी नायडू का अहम कौशल स्त्रोत था उनका संवैधानिक ज्ञान। वे अपनी विचारधारा के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने महात्मा गांधी के संग नमक सत्याग्रह किया था जिसके दौरान वे 385 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चल पड़ी थीं(जो पुराने 1000 रुपए के नोट के पीछे दिखाया गया था, जहां महात्मा गांधी खड़े थे और उनके पीछे सरोजिनी नायडू और अन्य लोग दिखाई देते थे)। सरोजिनी नायडू ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महिला सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी।

महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भी देश को आज़ादी दिलाने में अपना अहम योगदान दिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संघर्ष करने वाली इन महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी मैडम बिकाजी कामा। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महिला सेनानी थी जो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ी थी। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। दूसरी ओर, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक महिला सेनानी थीं जिन्होंने बहादुरी से लड़कर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपनी शौर्य और दृढ़ता से देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। तीसरी ओर, प्रीतिलता वाड़दार नाम की एक अन्य महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती थीं। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के उन्माद रोमांच से सामना करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी।

इस तरह से, भारत के इतिहास में महिलाओं ने अपने सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी हैं और देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया है। आज, सरकार भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे महिला एंट्रेप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (MEP), महिलाओं के लिए बैंक ऋण योजनाएं, महिला कोटा योजना, महिला अधिकार

मैरी कॉम ने सन् 2001 में प्रथम बार नेशनल वुमन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती. अब तक वह 10 राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी है. बॉक्सिंग में देश का नाम रोशन करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार तथा वर्ष 2006 में उन्हे पद्मश्री से सम्मानित किया गया. जुलाई 29, 2009 को वे भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुनीं गयीं.

योजना, महिला एकीकरण योजना, महिला आवास योजना आदि हैं। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने महिला अधिकारियों को महिला नेतृत्व पर विशेष प्रशिक्षण दिया, महिला दिवस के अवसर पर 'सेंट गरिमा' नामक एक विशेष जमा योजना शुरू की।

विश्व इतिहास में, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग समाज में आंदोलन का विषय रहा है। इसी क्रम में, कुछ देशों ने इस अधिकार को महिलाओं को प्रदान करने में कई साल तक देरी की है। लेकिन भारत में, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सीधे से प्रदान किया गया था जब भारत की संविधान समिति द्वारा संविधान को तैयार किया गया था। यह संविधान महिलाओं के अधिकारों को समर्थन करता हुआ उन्हें वोट डालने का अधिकार देता है।

इस प्रकार से, भारत की महिलाओं के लिए नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों, संविधान के माध्यम से सफलता की यात्रा जारी है। इस यात्रा में, भारतीय महिलाओं के लिए न सिर्फ नये अवसरों के द्वार खुले हैं, बल्कि उन्हें निर्धारित सामाजिक रूढ़िवाद से मुक्ति दिलाने के लिए कई समाज सुधार आंदोलन भी शुरू किए गए हैं। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक योजनाएं उन्हें उच्च स्तर पर पहुंचने में मदद कर रही हैं।

हर्षित शर्मा
सहायक प्रबंधक-आईटी
ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

हिन्दी में प्रवीणता

यदि किसी कर्मचारी ने-

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है;या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

(ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है.

''लोग कहा करते थे कि बॉक्सिंग पुरुषों के लिए है महिलाओं के लिए नहीं और मैं सोचा करती थी कि एक दिन मैं उन्हें दिखाउंगी. मैंने खुद से वादा किया और खुद को साबित किया.''

''अगर मैं दो बच्चों की माँ होकर एक मेडल जीत सकती हूँ, तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे एक उदाहरण के तौर पर लें और कभी हार ना मानें.'' - *मेरी कॉम*

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:!!!

प्रस्तावना

हमारी संस्कृति में जो कुछ भी सुंदर है, शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उसकी कल्पना नारी रूप में की गई है. महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को शक्तिशाली बनाने से है ताकि वे अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम हो सकें. महिलाओं ने पुरुषों के हाथों वर्षों से बहुत कुछ झेला है. पहले की शताब्दियों में महिलाओं को लगभग अस्तित्वहीन माना जाता था. अधिकांश अधिकार पुरुषों के हुआ करते थे. विकास के क्रम में महिलाओं को अपनी शक्ति का एहसास हुआ तथा महिला सशक्तिकरण के लिए क्रांति प्रारंभ हुई. चूंकि महिलाओं को स्वयं के लिए निर्णय लेना सामान्य रूप से अनुमत नहीं है, इसलिए महिला सशक्तिकरण का महत्व समाज में और बढ़ जाता है. महिला सशक्तिकरण ने महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया और उन्हें समाज में अपना स्थान बनाने के लिए प्रेरित किया.

महिला सशक्तिकरण क्या है?

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को समाज में एक खुशहाल और सम्मानित जीवन जीने की क्षमता देने की प्रक्रिया है. महिलाओं को तब सशक्त बनाया जाता है जब उनके पास शिक्षा, पेशे और जीवन शैली जैसे कई अवसरों तक अप्रतिबंधित पहुंच होती है. इसमें शिक्षा, जागरूकता, साक्षरता और प्रशिक्षण जैसी मदें शामिल हैं ताकि उन्हें अपनी स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सके. इसमें निर्णय लेने का अधिकार भी शामिल है. एक महिला शक्तिशाली महसूस करती है जब वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती है. महिलाओं को सशक्त बनाना देश के समग्र विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है. यदि किसी परिवार में केवल एक कमाने वाला सदस्य है, जबकि दूसरे परिवार में पुरुष और महिला दोनों कमा रहे हैं, तो किसका जीवन स्तर बेहतर होगा? समाधान सीधा है: एक घर जिसमें पुरुष और महिला दोनों काम करते हैं. यह भी सत्य है कि जिस देश में पुरुष और महिलाएं एक साथ काम करते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था में अधिक तेजी से प्रगति होती है.

विश्व स्तर पर अपनी संस्कृति और विरासत के लिए प्रसिद्ध हमारा देश विविध संस्कृतियों से भरा हुआ है. लेकिन भारतीय समाज हमेशा पितृसत्तात्मक रहा है, यही कारण है कि महिलाओं को शिक्षा और समानता जैसे बुनियादी मानवाधिकारों से लगातार वंचित किया गया है. उन्हें हमेशा दबा दिया गया है और घरेलूता तक सीमित कर दिया गया है तथा बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने से रोक दिया गया है. लैंगिक समानता की धारणा पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की मांग करती है लेकिन महिलाओं को उनके अधिकारों से अनजान रखा गया है. भारत जैसे देश के लिए, महिला सशक्तिकरण इसकी वृद्धि और विकास में एक बड़ी भूमिका होगी. जैविक और नैतिक दोनों संदर्भों में, महिलाओं के पास एक परिवार के साथ-साथ पूरे समाज के भविष्य और विकास को आकार देने की अधिक क्षमता होती है.

'नया भारत नारी शक्ति के दम पर बढ़ता भारत, जहां नारी सशक्त सबल एवं देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो.'

- नरेन्द्र मोदी

महिला सशक्तिकरण में स्वतंत्रता, समानता के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पहलू शामिल हैं. इसके माध्यम से, वास्तविक प्रयास यह सुनिश्चित करने में निहित है कि हम लैंगिक समानता लाएं. उचित समर्थन मिलने पर महिलाओं ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है. यहां तक कि भारत में भी, हमने महिलाओं को विविध भूमिकाओं को संभालते हुए देखा है. इसके अलावा, महिलाओं को एक परिवार की रीढ़ भी माना जाता है. घरेलू कामों से लेकर बच्चों के पालन-पोषण तक, वे कई जिम्मेदारियां संभालती हैं.

हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में समृद्ध होने की आकांक्षा कैसे कर सकते हैं जहां हर लड़की को शिक्षा तक पहुंच नहीं मिलती है. भारत एक ऐसा देश है जहां हम देवियों की पूजा करते हैं जबकि हम लैंगिक समानता के बारे में सोचने का प्रयास भी नही करते हैं.

जमशेदजी टाटा (3 मार्च 1839 - 19 मई 1904) भारत के महान उद्योगपति तथा विश्वप्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे. भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेदजी ने जो योगदान दिया वह अति असाधारण और बहुत ही महत्त्वपूर्ण है.

इसलिए, हमारी सभी माताओं, बहनों और बेटियों के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए ताकि वे जीवन के हर चरण में अपने निर्णय लेने में सक्षम हो सकें.

प्राचीन काल से महिलाओं को अपनी प्रतिभा और ज्ञान विकसित करने के लिए हमेशा कम अवसर और संभावनाएं मिली हैं. हालांकि दुनिया पुरुषों और महिलाओं दोनों से बनी है. लेकिन पुरुषों को परिवार के सबसे शक्तिशाली सदस्यों के रूप में माना जाता था. महिलाओं को सभी घर के कामों और बच्चे के पालन-पोषण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता था लेकिन वे कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय नहीं ले सकती थीं.

महिला सशक्तिकरण महिलाओं के हाथों में शक्ति डालने की एक प्रगतिशील तकनीक है ताकि वे समाज में एक खुशहाल और सम्मानजनक अस्तित्व रख सकें. महिलाओं को तब सशक्त बनाया जाता है जब उनके पास कई क्षेत्रों में अवसरों तक पहुंच होती है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, लिंग समानता, एक पेशेवर (समान मजदूरी) जीवन शैली आदि. हालांकि, कोई बाधा या सीमाएं नहीं हैं. इसमें प्रशिक्षण, जागरूकता, शिक्षा, साक्षरता और निर्णय लेने के अधिकार के माध्यम से उनकी स्थिति बढ़ाना शामिल है.

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

लगभग सभी देशों में, चाहे कितना भी प्रगतिशील हो, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का इतिहास रहा है. इसे दूसरे तरीके से कहें, तो दुनिया भर की महिलाएं अपनी वर्तमान स्थिति को प्राप्त करने के लिए विद्रोही रही हैं. जब पश्चिमी देश अभी भी प्रगति कर रहे हैं, भारत एवं उसके जैसे तीसरी दुनिया के देश महिला सशक्तिकरण के मामले में पीछे हैं. भारत में महिला सशक्तिकरण पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. भारत उन देशों में से एक है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. यह विभिन्न कारकों के कारण है. इतना ही नहीं, बल्कि महिलाओं के खिलाफ भयानक अपराध जैसे बलात्कार, एसिड हमले, दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा आदि के अन्य रूप पूरे भारत में होते रहते हैं.

महिलाओं को संपूर्ण आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए. तथापि, कन्या भ्रूण हत्या प्रथाओं के कारण, जो अभी भी भारतीय समाजों के ग्रामीण और वंचित वर्गों में व्याप्त है, बालिकाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है जिससे परिणामस्वरूप देश का लिंग अनुपात प्रभावित हो रहा है. शिक्षा और स्वतंत्रता परिदृश्य यहां बहुत प्रतिगामी है. महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है. पुरुष अभी भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं पर हावी हैं जैसे कि यह महिला का कर्तव्य है कि वह उसके लिए अंतहीन काम करे. वे उन्हें बाहर नहीं जाने देते हैं या किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं है.

इसके अलावा, घरेलू हिंसा भारत में एक बड़ी समस्या है. महिलाएं बोलने से डरती हैं. इसी तरह, जो महिलाएं वास्तव में काम करती हैं, उन्हें अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है. लैंगिक असमानता के कारण एक ही काम के लिए कम भुगतान करना अनुचित होता है. इस प्रकार, हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण कैसे समय की मांग है. हमें इन महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है कि वे स्वयं के लिए अपना स्वर बुलंद करें और कभी भी अन्याय का शिकार न हों.

महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए?

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दृष्टिकोण और तरीकों की एक विस्तृत श्रृंखला है. इसे हासिल करने के लिए व्यक्तियों और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए.

- लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ताकि वे अनपढ़ न बनें और खुद का समर्थन करने में असमर्थ न हों.
- लिंग की परवाह किए बिना महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाने चाहिए.
- महिला सशक्तिकरण सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी हासिल किया जा सकता है.
- व्यक्तिगत स्तर पर, हमें महिलाओं की सराहना करना शुरू करना चाहिए और उन्हें पुरुषों के बराबर अवसर प्रदान करना चाहिए.
- नौकरियों के अलावा हमे महिलाओं को आगे की शिक्षा और उद्यमशीलता के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित

जब सिर्फ यूरोपीय, विशेष तौर पर अंग्रेज़, ही उद्योग स्थापित करने में कुशल समझे जाते थे, जमशेदजी ने भारत में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया था. टाटा साम्राज्य के संस्थापक जमशेदजी द्वारा किए गये कार्य आज भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं. उनके अन्दर भविष्य को भाँपने की अद्भुत क्षमता थी जिसके बल पर उन्होंने एक औद्योगिक भारत का सपना देखा.

करना चाहिए.

- महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला शक्ति केंद्र, सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य जैसे कार्यक्रम लागू किए हैं.
- इन कार्यक्रमों के अलावा, हम सभी दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं को खत्म करके महिलाओं की मदद कर सकते हैं. ये सरल कार्य समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करेंगे और उन्हें अधिक शक्तिशाली महसूस करने में मदद करेंगे.

''दुनिया भर में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप सभी के लिए अधिक देखभाल, सहिष्णु और शांतिपूर्ण जीवन मिल पाएगा .''

- ऑन्ग सैन सू की

महिला सशक्तिकरण मुख्य रूप से महिलाओं को स्वतंत्र बनाने की प्रथा को प्रोत्साहित करता है ताकि वे अपने स्वयं के निर्णय ले सकें और साथ ही बिना किसी पारिवारिक या सामाजिक प्रतिबंधों के अपने जीवन को संभाल सकें. सरल शब्दों में, यह महिलाओं को अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास का दायित्व लेने का अधिकार देता है. चूंकि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हमेशा उत्पीड़ित रही हैं, इसलिए महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य उन्हें पुरुषों के साथ समान रूप से खड़े होने में मदद करना है. यह एक परिवार के साथ-साथ देश के समृद्ध विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक मूलभूत कदम है.

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

अत्यंत सफल फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का कथन है कि ''महिलाओं को सबसे मजबूत उपकरण - शिक्षा के माध्यम से सशक्त होने की जरूरत है. उन्हें किसी के अधीन होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही पुरुषों को महिलाओं की ओर अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए. अगर वे उनके अधिक सम्मान करते हैं, तो चीजें जमीनी स्तर पर बदल जाएगी. यह धीरे-धीरे हो पाएगा, लेकिन हर एक को एक साथ चलना होगा.''

भारत के पहले प्रधानमंत्री का कथन था कि **''यदि आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, हालांकि, यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं. महिला सशक्त का अर्थ है भारत माता सशक्त''** शिक्षा महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ा कारक भी है जो देश के समग्र विकास में मदद करता है. शिक्षा महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकती है. एक शिक्षित महिला अपने आसपास की अन्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देगी, उन्हें सलाह देगी और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक भी होगी. शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास, सम्मान, वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्षमता हासिल करने में मदद करती है. शिक्षा शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी मदद करेगी क्योंकि एक शिक्षित महिला स्वास्थ्य देखभाल, कानूनों और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होती है.

सरकार ने महिलाओं की शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्षों से विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और कई अन्य योजनाएं. शिक्षा महिलाओं को अच्छे और बुरे की पहचान करने में मदद करती है और उनके दृष्टिकोण, सोचने के तरीके और चीजों को संभालने के तरीके को बदलती है. शिक्षा महिलाओं को स्वतंत्र होने में मदद करती है. अन्य देशों की तुलना में भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है. शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है और किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. शिक्षा जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है तथा घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आत्मविश्वास पैदा करती है.

राजीव तिवारी
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
आंचलिक कार्यालय, पुणे

''भौतिक दृष्टि से कोई भी सफलता या उपलब्धि तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि वह देश और उसके लोगों की जरूरतों या हितों को पूरा न करे और निष्पक्ष और ईमानदार तरीकों से हासिल ना हुई हो.''

- जमशेदजी टाटा

व्यंजन

मेथी मूंग की क.ढी

कढ़ी तो आपने कई तरह की खाई होंगी पर आज मैं आपको जिस कढ़ी के बारे में बताने जा रही हूँ वह हरी मेथी और मूंग के छिलके वाली दाल के साथ बनाई जाती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश मे इसे 'मेथी का साग' भी बोलते हैं. तो आइए शुरू करते हैं मेथी मूंग की कढ़ी

सामग्री

हल्दी : आधा चम्मच.

बेसन : 3/4 कप.

छिलके वाली मूंग दाल : 3/4 कप.

मेथी के पत्ते : एक कप.

मट्ठा आधा लीटर.

1/5 ग्लास पानी.

नमक स्वाद अनुसार.

तड़के के लिए सामग्री

राई आधा चम्मच.

हीन्ग चौथाई चम्मच.

मेथी दाने : 15.

सरसो का तेल : दो बड़े चम्मच.

सूखी लाल मिर्च: चार टुकड़े कर के.

पिसी लाल मिर्च : एक चम्मच.

सर्वप्रथम मेथी के पत्ते और छिलके वाली मूंग दाल को अच्छी तरह धो कर प्रेशर कुकर मे एक ग्लास पानी डाल कर पांच सीटी आने तक पका लें. इधर दूसरी ओर बेसन, हल्दी , मठ्ठे और 1.5 ग्लास पानी को एक बडी कढ़ाई मे डाल कर अच्छे से मिला लें. अब इसे गैस पर रख दें. गैस को मध्यम रखे और इसे तब तक चलाते रहे जब तक इस मिश्रण में उबाल ना आ जाये. जब उबाल आ जाये तो प्रेशर कुकर से दाल और मेथी को निकाल कर इसी मे मिला दे और नमक डाल कर फ़िर उबाल आने तक चलाते रहे. ध्यान रहे चलाना इस लिये जरुरी है क्योंकि नमक डालते ही मिश्रण के फ़टने का डर रहता है, तो जब तक उबाल ना आ जाये चलाते रहे. अब उबाल आने पर पांच से दस मिनट तक और पकायें .

अब तड़के के लिये एक पैन में सरसों का तेल डाल कर गरम होने दे. फ़िर इस मे हीन्ग, राई, मेथी दाने, सूखी लाल मिर्च और लाल मिर्च पावडर डाल दे. तड़का तैयार है. इसे कढ़ी के ऊपर डाल दे. अब गरम रोटी या चावल के साथ खाये..

वन्दना चतुर्वेदी
पत्नी श्री अनुराग चतुर्वेदी
वरिष्ठ प्रबंधक, करेन्सी चेस्ट, चंडीगढ़

''मैं नहीं चाहता कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने, मैं चाहता हूं कि भारत एक खुशहाल देश बने. पैसा खाद की तरह है. जब आप इसे ढेर करते हैं तो यह बदबू देता है, जब आप इसे फैलाते हैं तो यह बढ़ता है.''
- जमशेदजी टाटा

नए युग की बैंकिंग- नारी शक्ति

''स्त्री शक्ति राष्ट्र शक्ति का अभिन्न अंग होती है जिसे सशक्त और शामिल किए बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता.''

जब भी राष्ट्र को सशक्त करने की बात आती है तो महिला सशक्तिकरण के पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता. किसी भी देश के विकास संबंधी सूचकांक को निर्धारित करने हेतु उद्योग, व्यापार, खाद्यान्न उपलब्धता, शिक्षा इत्यादि के स्तर के साथ ही इस देश की महिलाओं की स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है. नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध तथा मजबूत समाज की द्योतक है. वर्तमान में नारियाँ प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं. शिक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं में नवीन चेतना भर दी है. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हो रही है. आज महिलाएँ राजनीति, व्यापार, कला तथा खेल सहित रक्षा में भी नए आयाम गढ़ रही हैं. सेना जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी महिलाएँ अपनी भूमिका पुरुषों के साथ कदम मिलाकर निर्वहन कर रही है. देश के कई आर्थिक संस्थानों के शीर्ष पदों पर महिलाएँ कार्यभार संभाल रही हैं तथा देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं.

बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक स्तंभों में से एक माना जाता है, इसलिए जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो बैंकों की भूमिका अहम हो जाती है. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका अहम हो जाती है. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उपस्थिति देश के दूरस्थ कोनों में भी उपलब्ध है. ये बैंक पारंपरिक रूप से महिलाओं की वित्तीय बचतों और जरूरतों को पूरा करने में उन्हे सहायता प्रदान करते हैं. बैंकों ने हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चाहे वह आजीविका या जरूरतों को पूरा करने में वित्तपोषण योजनाएँ ही क्यों न हो. सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महिलाओं को वित्तीय सहायता और ऋण योजनाओं में विशेष रियायती दरों पर ब्याज भी दिया है. बैंकों द्वारा तनाव मुक्त ऋण नियमों की भी घोषणा की गई है.

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सभी अच्छे प्रयास करने के बावजूद भी महिलाएँ अभी भी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं. इन बाधाओं के कारण महिलाएँ बैंकों से सेवाएँ नहीं ले पाती हैं. अगर हम बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं के बारे में तुलनात्मक आंकड़ो पर नजर डालते हैं तो यह एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है. देश में कुछ परिचालन बैंक खातों में महिलाओं का योगदान केवल 24 फीसद है और कुल जमा राशि में केवल 24 फीसदी ही महिलाओं का योगदान हैं. बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की इस तरह की भागीदारी को निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

भारत सरकार ने बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के क्रम में महिलाओं को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से (विशेष रूप से ग्रामीण भारत में) नवंबर 2013 में एक कदम उठाया. सरकार ने पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित देश के प्रथम महिला बैंक की स्थापना की . भारतीय महिला बैंक(बीएमबी) की स्थापना के साथ एक नए युग की बैंकिंग सेवा क्षेत्र की शुरूआत हुई. बीएमबी मुख्य रूप से महिलाओं और महिलाओं के स्व-सहायता समूह (एसएसजी) के लिए वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराता था. इसके अलावा महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना भी बीएमबी का उद्देश्य था. बीएमबी का एक अनूठा वाक्य है- 'महिला सशक्तिकरण, भारत सशक्तिकरण' जो स्पष्ट रूप से इस संगठन के पीछे की मंशा को जाहिर करता है. हालांकि 31 मार्च 2017 को भारतीय महिला बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया. स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है, लेकिन उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बराबर भागीदारी और महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है.

परमवीर राइफल मैन संजय कुमार, (जन्म: 3 मार्च 1976) एक भारतीय सिपाही हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को उसी के हथियार से धूल चटाई थी. लहुलुहान होने के बावजूद संजय कुमार तब तक दुश्मन से जूझते रहे थे, जब तक प्वाइंट फ्लैट टॉप दुश्मन से पूरी तरह खाली नहीं हो गया.

बैंकिंग क्षेत्र में भारत तीव्र गति से बढ़ रहा है . पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीबन 29 फीसद महिलाएँ अब डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करती हैं. इसके बावजूद भी वित्तीय उद्योग में महिलाओं का बहुत छोटा अनुपात है. कोरोना काल में यह बहुत अधिक प्रभावित भी हुआ. कोरोना के कारण पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने संगठित और असंगठित दोनो ही क्षेत्रों में अधिक नौकरियाँ खोई. यहाँ तक कि उच्च शिक्षित महिला श्रमिकों को भी अपनी नौकरी गवानी पड़ी. हमारे समाज में कार्यस्थलों में पहले ही महिलाओं की संख्या बहुत कम है और जो मौजूद है उन्हें दिन-प्रतिदिन अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं. अनेक शोध के अनुसार औरतों की भागीदारी के बिना एक देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती. उद्यमिता संभावित रूप से भारत में रोजगार की स्थिति को बदल सकती है. यह 2030 तक 150-170 मिलियन नौकरियाँ पैदा करने की गुँजाइश रखती है, जो कि पूरी काम करने वाली आबादी के लिए 25 प्रतिशत तक नौकरी पैदा कर सकती है. एक बार जब महिलाओं की बैंक खाते तक पहुँच हो जाती है, तो उनकी बचत करने की प्रवृति बढ़ती है और उन्हे वित्तीय सुरक्षा मिलती है. साथ ही उनके निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है. इसलिए औरतों का आर्थिक क्षेत्र में होना अति आवश्यक है. खासकर ग्रामीण भारत की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और उनके लिए आय का एक स्त्रोत उनकी मुक्ति और आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है.

भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में महिलाएँ पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के अलावा एक निर्णायक और अहम भूमिका निभा रही हैं. वास्वत में बैंकिंग के इस क्षेत्र में महिलाएँ शीर्ष स्थानों तक पहुँचने में कामयाब हो रही हैं और इसका जीता-जागता सबूत है कई बैंको के सीईओं, के पदों पर काबिज हुई महिलाएँ, जैसे अरुंधति भट्टाचार्य(अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक),चंदा कोचर (प्रबंध निर्देशक और सीईओ, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड), नैना लाल किदवई(समूह महाप्रबंधक, एचएसबीसी इंडिया), रेनू सूद कर्नाड(प्रबंध निर्देशक, एचडीएफसी), शिखा शर्मा (प्रबंध निदेशक और सीईओ, एक्सिस बैंक), शुभलक्ष्मी पानसे (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक) इत्यादि . यहाँ तक की परिसंपत्तियों के मामले में देश के सबसे बड़े बैंक का संचालन भी एक महिला ही कर रही है.

अपने प्रयासों के माध्यम से बैंकिंग और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. बैंकों ने महिलाओं को वित्तीय समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है जिस कारण उन्हें भारतीय समाज में सामाजिक-आर्थिक समानता प्राप्त करने में मदद मिली है. विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में दुनिया के 190 देशों में भारत का 117 वां स्थान है.

नए युग की बैंकिंग के तहत डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो उसमे डिजिटल बैंकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. डिजिटल शब्द आज की दुनिया में आदत बन गया है क्योंकि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है. दुनियाभर में स्वास्थ्य की स्थितियों को प्रभावित करने वाली महामारी के कारण, सुरक्षा के उद्देश्य से मानव हस्तक्षेप को कम करने के लिए डिजिटलाइजेशन समय की आवश्यकता बन गया. ऑटोमेटेड, डिजिटलाइज्ड प्रोसेस वास्तविक कस्टमर वैल्यू जोड़ने पर खर्च करने के लिए लागत कम करते हैं . इसे अब बैंकिंग सेक्टर में तीव्र गति से अपनाया जा रहा है. भारत में केवाईसी के लिए लागत को कम करते है और मुफ्त समय देते है. भारत में केवाईसी के लिए भौतिक सत्यापन से आगे बढ़ने के लिए बेहतर प्रक्रिया के लिए बाजार नियामक द्वारा वीडियो-आधारित सत्यापन शुरू किया जा रहा है. कई बैंकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग आवश्यक कार्यों के लिए आसान साबित हो रही है. कस्टमर के साथ-साथ सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण कारक होने के कारण, डिजिटल रूप से कस्टमर हमेशा अपने समय पर प्रदान की गई पर्सनलाइज्ड और सीमलेश डिजिटल सर्विसेज की तलाश करता है.

संजय कुमार को उनकी इस बहादुरी के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. संजय कुमार इस समय सूबेदार मेजर के रैंक पर कार्यरत है. वर्ष 2020 में प्रसिद्ध टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में शो के प्रस्तोता अमिताभ बच्चन के विशेष आमंत्रण पर साथी परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के साथ शामिल हुए तथा जीती गई पूरी राशि आर्मी वेलफेयर फण्ड में दान कर दी.

भारत की अधिकांश आबादी के दरवाजे तक बैंकिंग को पहुंचाने के लिए भारत के बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों ने हाल के दिनों में खुद को डिजिटल रूप से बदल लिया है. डिजिटल फाइनेंस अनिवार्य हो जाता है ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को बैंकिंग और सशक्तिकरण के दायरे में लाया जा सके. चाहे वह भुगतान का डिजिटल तरीका हो जैसे कि यूपीआई अभियान समय की आवश्यकता है. जैसे-जैसे अधिक बैंक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुद को डिजिटल रूप से बदलते हैं, और अधिक गैर सरकारी संगठन और सरकारी निकाय जागरूकता पैदा करते हैं और महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता लाते हैं, अधिक से अधिक महिला सशक्तिकरण होगा. एमएसएमई देशभर में कई महिलाओं को आजीविका प्रदान करने और अधिक महिलाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. डिजिटल फाइनेंस और फिनटेक समाधानों के जरिए महिलाओं के लिए अपने दैनिक लेखांकन या बैंकिंग जरूरतों के लिए मोबाइल इंटरफेस के साथ अधिक सहज होना आसान हो गया है. फिनटेक समाधानों को बैंकों द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है ताकि महिलाओं को चिकित्सा बीमा या बचत योजनाओं जैसे उपयुक्त समाधान प्रदान किया जा सके.

डिजिटल फाइनेंस और महिलाओं का अधिक समावेश अन्य मोर्चों पर भी विकास सुनिश्चित करेगा- जैसे-जैसे अधिक महिलाएँ वित्तीय समाधानों तक पहुँच प्राप्त करती हैं, वे निर्णय लेने में समान हितधारक बन जाती हैं और हर मोर्चे पर अधिक भागीदारी का दावा करती हैं. वित्तीय समावेशन समाज में सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में भी पहला कदम है. डिजिटल बैंकिंग से बचत खाता खोलना या लेनदेन करना बेहद आसान है.

अनिंदिता दास
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, बांकुड़ा

पदोन्नति

सेन्ट्रलाइट परिवार की ओर से हार्दिक बधाई...!!

श्री पी अनुप कुमार
महाप्रबंधक

हिंदी बोले जाने और लिखे जाने के आधार पर देश के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है. इन तीनों क्षेत्रों यथा 'क' 'ख' और 'ग' का विवरण निम्नानुसार है:

- क्षेत्र 'क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- क्षेत्र 'ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;
- क्षेत्र 'ग' से खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी. राव ने एच डी एफ सी बैंक के संस्थापक श्री दीपक पारीख से दिनांक 21 जनवरी 2023 को सदिच्छा भेंट की.

श्री विवेक वाही, कार्यपालक निदेशक को 26 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक दुबई में आयोजित 22वें फिम्डा पीडीएआई सम्मेलन में ''भारतीय बाज़ार: नए फ्रंटियर उत्पाद और प्रौद्योगिकी'' विषय पर एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था.

कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही द्वारा आंचलिक कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के स्टाफ सदस्यों को दिनांक 09.02.2023 को संबोधित किया गया,साथ में है अंचल प्रमुख श्री ए.के.खन्ना, उप अंचल प्रमुख श्री अजीत सिंह और क्षेत्रीय प्रमुख श्री रोहित कुमार.

दिनांक 24 मार्च, 2023 को माननीय श्री एम वी मुरली कृष्णा, कार्यपालक निदेशक, भोपाल में टाउन हॉल बैठक को सम्बोधित करते हुए, साथ ही उपस्थित हैं श्री वी लक्ष्मण राव, महाप्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई, श्री तरसेम सिंह जीरा, अंचल प्रमुख भोपाल अंचल

केंद्रीय कार्यालय में आयोजित महिला दिवस २०२३ की झलकियां

केंद्रीय कार्यालय मुंबई द्वारा

दिनांक 20 मार्च 2023 को दिल्ली में श्री राजीव पुरी, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में सुश्री अंशुली आर्या, आईएएस, सचिव (राजभाषा) मुख्य अतिथि तथा श्री बी एल मीना निदेशक राजभाषा विशेस अतिथि थे. सम्मेलन की कुछ झलकियां

सेवानिवृत्ति

सेवानिवृत्ति उपरांत सुखद एवं दीर्घायु जीवन हेतु मंगलकामनाएं...!!

श्री स्मृति रंजन दाश
महाप्रबंधक

सुश्री नमिता रॉय शर्मा
महाप्रबंधक

श्री एस के श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक

श्री अतुल सहाय
उप महाप्रबंधक

श्री जय प्रकाश पी
उप महाप्रबंधक

श्री डी एस शालिग्राम
उप महाप्रबंधक

श्री पी सुरेश
उप महाप्रबंधक

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाभदायक होती है.

राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	''क'' क्षेत्र	''ख'' क्षेत्र	''ग'' क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. 'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 100% 2. 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 100% 3. 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 65% 4. 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 100%	1. 'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 90% 2. 'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 90% 3. 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 55% 4. 'ख' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 90%	1. 'ग' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 55% 2. 'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 55% 3. 'ग' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 55% 4. 'ग' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	50%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों	40%	30%	20%
		(न्यूनतम अनुभाग) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, ''क'' क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, ''ख'' क्षेत्र में 25% और ''ग'' क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए		

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20

डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ

हर पेमेंट डिजिटल

www.centralbankofindia.co.in